वित्त राज्य मंत्री
भारत
नई दिल्ली - 110001
MINISTER OF STATE FOR FINANCE
INDIA
NEW DELHI - 110001

प्रस्तावना

शासन में पारदर्शिता और जबावदेही को बढ़ावा देने के भारत सरकार के प्रयास को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2008-09 के बजट में की गई घोषणाओं के कार्यान्वयन की स्थिति को दर्शाने वाली एक विवरणिका संग्रहित की गई है। इसमें भारत निर्माण संघटकों सहित सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियां शामिल हैं।

मुझे, इस विवरणिका को सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

प. बंसल

(पवन कुमार बंसल)

विषय सूची

क्रम सं	पैरा सं. (2008-09 के बजट भाषण में)	विषय	पृष्ठ सं.
1.	* 16	भारत निर्माण के अंतर्गत प्रगति	1
2.	₹19	सर्व शिक्षा अभियान	3
3.	20	मॉडल स्कूल कार्यक्रम	3
4.	21	जवाहर नवोदय विद्यालय	4
5.	22	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय	4
6.	23	राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति	4
7.	24	नेहरू युवा केंद्र	5
8.	₹25	मध्याह्न भोजन योजना	5
9.	26	उच्च शिक्षा संस्थान	5
10.	27	डक्कन स्नातकोत्तर कालेज और अनुसंधान संस्थान, पुणे को अनुदान	7
11.	28	उत्प्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञानवृत्ति में नवोन्मेष (इन्सपायर) नामक नई योजना	7
12.	29	राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना	8
13.	₹31	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	8
14.	32	एचआईवी/एड्स	9
15.	₹33	पोलियो	9
16.	34	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	10
17.	35	राष्ट्रीय वृद्धजन कार्यक्रम	10
18.	₹36	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	11
19.	₹38	अग्रगामी (फ्लैग शिप) कार्यक्रम के अधीन प्रगति	11
20.	39	अपक्षारीकरण संयंत्र	12
21.	41	पूर्वोत्तर की विशेष आवश्यकताओं का समाधान	13
22.	43	विकास और वित्त निगम	14
23.	44	छात्रवृत्तियां	14
24.	47	अल्पसंख्यक	15
25.	48	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की कारपस निधि को बढ़ाना	16
26.	52	स्व-सहायता समूह	16
27.	55	महत्वपूर्ण योजनाओं के अधीन प्रगति	16
28.	56	कृषि ऋण	17
29.	59	त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम	17
30.	60	वर्षा पोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	18
31.	61	सूक्ष्म सिंचाई	18
32.	62	जल निकायों की मरम्मत, पुनरुद्धार और बहाली की परियोजना	19
33.	63	सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम	20
34.	65	मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना	20
35.	66	बागान फसलें	20
36.	67	विकास अध्ययन केंद्र तिरूवानंतपुरम और चाय अनुसंधान एसोसिएशन को एकबारगी अनुदान	21
37.	68	स्वायत्त राष्ट्रीय स्वस्थ पादप प्रबंध संस्थान	22
38.	70	मौसम आधारित फसल बीमा योजना	22
39.	71	उर्वरकों के लिए वित्तीय सहायता हेतु वैकल्पिक विधियां	22
40.	72	सहकारी ऋण संरचना	23
41.	73	ऋण माफी और ऋण राहत	23

क्रम सं	पैरा सं. (2008-09 के बजट भाषण में)	विषय	पृष्ठ सं.
			25
			25
42.	76	ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि	26
43.	78	अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य	26
44.	79	पांच और अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना	26
45.	* 80	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की प्रगति	27
46.	81	त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार परियोजना	28
47.	82	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम की प्रगति	28
48.	83	तेल और गैस	28
49.	84	कोयला विनियामक की नियुक्ति	29
50.	86	एसआईटीपी तथा टीयूएफ की दो वस्त्र योजनाओं को जारी रखना	29
51.	87	हथकरघा सैक्टर	30
52.	88	बड़े समूहों के रूप में छः केंद्रों का विकास	31
53.	89	भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक (सिडबी) में जोखिम पूंजी निधि का सृजन	31
54.	92	वित्तीय समावेशन समिति की सिफारिशें	31
55.	93	बैंकों को समग्र वित्तीय समावेशन की अवधारणा अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना	32
56.	94	नई निधियों के सृजन के माध्यम से नाबार्ड,सिडबी तथा एनएचबी की पहुंच का विस्तार	32
57.	95	डीआरआई योजना के तहत वर्द्धित पात्रता	33
58.	97	कारपोरेट बांडों के लिए बाजार विस्तार हेतु उपाय	33
59.	98	वित्तीय बाजार में सभी लेनदेनों के लिए पैन की जरूरत	
60.	99	प्रतिभूतियों के लिए वास्तव में एक अखिल भारतीय बाजार बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति ।	34
			34
			35
61.	101	कौशल विकास मिशन	35
62.	102	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन	
63.	103	सैनिक स्कूल	36
64.	104	हरियाणा और चंडीगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण हेतु स्मार्ट कार्ड आधारित वितरण प्रणाली हेतु प्रायोगिक योजना	37
65.	105	असंगठित क्षेत्र के कामगार	38
66.	106	इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गरीब व्यक्तियों को आवास के लिए अभिवृद्धित आर्थिक सहायता	38
67.	109	जलवायु परिवर्तन विषय संबंधी संस्थागत तंत्र	39
68.	112	उत्कृष्ट संस्थान	39
69.	113	भारत की सॉफ्ट पावर	39
70.	114	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को अनुदान	40
71.	115	मॉनिटरिंग और मूल्यांकन	40
72.	116	मूल्यांकन का सुदृढ़ीकरण	41
73.	122	राजकोषीय समंजन की कार्य योजना का पुनर्निर्धारण	41
74.	166	प्रतिवर्ती बंधक योजना	
75.	183	केन्द्रीय बिक्री कर और वस्तु एवं सेवा कर संबंधी कार्य योजना	

* *भारत निर्माण*

₹ *फ्लैगशिप कार्यक्रम*

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
1	16	*** भारत निर्माण के अंतर्गत प्रगति** भारत निर्माण के लिए, मैं 2007-08 में किए गए 24,603 करोड़ रुपए के प्रावधान की तुलना में, 31,280 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र संघटक सहित) का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : जल संसाधन मंत्रालय पेयजल आपूर्ति विभाग दूरसंचार विभाग विद्युत मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग)	i **सिंचाई** : भारत निर्माण के सिंचाई संघटक के अंतर्गत पृथक से कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है । इसलिए कोई वित्तीय प्रगति की सूचना नहीं दी जा सकता। ii **पेयजल आपूर्ति** : ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के संबंध में 15.1.2009 की स्थिति के अनुसार, 7,300 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले राज्यों को 5,524.76 करोड़ रुपए जारी किए गए । भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत 6.03 लाख परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य रखा गया था, उसमें से लगभग 4.8 लाख परिवारों को इसके अंतर्गत लाया गया है और उन्हें पेयजल उपलब्ध कराया गया है । शेष परिवारों को भी निर्धारित तारीख 31.3.2009 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करके पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा । iii **ग्रामीण टेलीफोनी** : शामिल न किए गए 66,822 गांवों को वीपीटी उपलब्ध कराए जाने थे और इस योजना के अंतर्गत 31.12.2008 तक 56,030 गांवों को शामिल किया गया । इस योजना के तहत, 31.12.2008 तक 139.28 करोड़ रुपए की निधियां जारी की गई हैं। iv **राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना(आरजीजीवीवाई)**: वर्ष, 2008-09 में 5,500 करोड़ रु0 की निधियाँ आबंटित की गईं जिनमें से दिसम्बर, 2008 तक 2,668.47 करोड़ रुपए जारी किए गए। 31.12.2008 की स्थिति के अनुसार, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को 614 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें से 235 परियोजनाएं, 9,732.90 करोड़ की स्वीकृत लागत पर, दसवीं योजना में कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत की गईं जिससे कि 66,638 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण, 111,936 विद्युतीकृत गांवों का सघन विद्युतीकरण होगा जिससे गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 83,10,286 परिवारों सहित, 12,613,996 ग्रामीण परिवारों को लाभ पहुंचाया जा सके। 11वीं योजना के चरण-I में 15,946.73 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत पर 323 परियोजनाओं को कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत किया गया है जिससे गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 16,037,554 परिवारों सहित 28,313,732 ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित करने हेतु 49,486 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण, 237,917 विद्युतीकृत गांवों का सघन विद्युतीकरण किया जा सके। आरईसी ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 11,249.03 करोड़ रुपए की निधियां जारी की। 31.12.2008 की स्थिति के अनुसार, वर्धित उपलब्धि 54,317 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण और 70,144 विद्युतीकृत गांवों के सघन विद्युतीकरण के रूप में है। अब तक गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 4,300,834 परिवारों

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति

सहित 5,142,322 ग्रामीण परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं ।

प्रत्यक्ष और वित्तीय दृष्टि से वर्षवार उपलब्धियां निम्नलिखित हैः

प्रत्यक्ष प्रगति

वर्ष	उपलब्धि (अविद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण की संख्या)
2005-06	9,819
2006-07	28,706
2007-08	9,301
2008-09 (31.12.2008 तक)	6,491

वित्तीय प्रगति (करोड़ रुपए)

वर्ष	बजटीय निधि	जारी निधियां
2005-06	1,100	1,100
2006-07	3,000	3,000
2007-08	3,983	3,913.45
2008-09	5,500	2668.47

v **ग्रामीण सड़कें** :

वर्ष, 2008-09 के दौरान, इस कार्यक्रम संघटक के लिए 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन और नाबार्ड ऋण के तहत 1,000 करोड़ रुपए की वृद्धि, आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के भाग के रूप में, प्रदान करने पर सहमति हुई है । इस कार्यक्रम के तहत वर्धित आबंटन अब इस प्रकार होगा :

कार्यक्रम संघटकः	5,530.00 करोड़ रु0
ईएपी संघटक	2,250.00 करोड़ रु0
नाबार्ड ऋण	8,000.00 करोड़ रु0
जोड़	**15,780.00 करोड़ रु0**

2005-09 के चार वर्षों की अवधि के दौरान, 59,564 बस्तियों को जोड़ने वाली 1.46 लाख किलोमीटर लम्बी ग्रामीण सड़क का निर्माण करने, और 1.94 लाख किलोमीटर लम्बी विद्यमान ग्रामीण सड़कों को उन्नत करने का लक्ष्य है । नवम्बर, 2008 तक, 0.71 लाख कि0मी0 की नई कनेक्टीविटी का कार्य पूरा किया गया है जिसमें 23,633 बस्तियों को शामिल कर लिया गया और 18,662 बस्तियों को जोड़ने की प्रक्रिया, पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में है। इस अवधि के दौरान 1.23 लाख कि0मी0 सड़क का उन्नयन भी किया गया।

vi **ग्रामीण आवास** :

वर्ष 2008-09 के दौरान, इन्दिरा आवास योजना के लिए बजट अनुमान के अंतर्गत 5,400 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था और 350 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि पहली पूरक अनुदान के रूप में आबंटित की गई थी । आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के भाग के रूप में, 3,050 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान पर भी सहमति हुई है, जिसके बाद, इस वर्ष के दौरान कुल आबंटन बढ़कर 8,800 करोड़ रुपए हो जाएगा ।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति

भारत निर्माण योजना के तहत, वर्ष 2005-06 से 2008-09 की चार वर्ष की अवधि के दौरान, 60 लाख मकानों का निर्माण किया जाना है। दिसम्बर, 2008 तक प्राप्त सूचना के अनुसार, भारत निर्माण के अंतर्गत 61.37 लाख मकानों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है । चालू वर्ष (2008-09) के लिए, 21.27 लाख मकानों के निर्माण के मूल लक्ष्य को, आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त निधियों को ध्यान में रखते हुए, संशोधित कर 43.67 लाख कर दिया गया है । दिसम्बर, 2008 तक कुल 19.42 लाख मकानों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से 10.96 लाख मकानों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है । किए गए व्यय का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	लक्ष्य (लाख)	निर्मित मकान (लाख)	उपयोग में लायी गई निधियां (करोड़ रुपए)
2005-06	14.41	15.51	3654.09
2006-07	15.33	14.98	4253.42
2007-08	21.27	19.92	5464.64
2008-09	43.67 (संशोधित)	10.96 (दिसंबर 2008)	8800.00*

* प्रत्याशित

32.49 लाख मकानों को वर्ष 2008-09 के दौरान पूर्ण किया जाना प्रत्याशित है । चालू वर्ष के दौरान ही शेष 11.18 लाख मकानों का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा और इसे 2009-10 के दौरान पूर्ण कर लिया जाएगा ।

कार्यक्रम जारी

2 19 **सर्व शिक्षा अभियान**

सर्व शिक्षा अभियान का केद्र बिन्दु प्राथमिक शिक्षा सुलभ बनाने और आधारभूत ढांचे के स्थान पर बच्चों को विद्यालयों में बनाए रखना; शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना; तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना होगा।

(नोडल मंत्रालय/विभाग :
स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग)

सर्व शिक्षा अभियान में वर्ष 2008-09 में 20,035 नए उच्च प्राथमिक स्कूल खोलने स्वीकृत किए जिससे कि छठी से आठवीं कक्षा तक अधिक संख्या में बच्चे पढ़ने लगें। उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए 59,039 अध्यापकों की स्वीकृति प्रदान की गई ।

वर्ष 2008-09 में, उच्च प्राथमिक स्कूलों को फर्नीचर के लिए 48.74 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए ।

वर्ष 2008-09 में, सर्व शिक्षा अभियान के कुल परिव्यय का 51 प्रतिशत अर्थात लगभग 12,477.24 करोड़ रुपए गुणवत्ता सुधार संबंधी कार्यों के लिए निश्चित किया गया ।

कार्यक्रम जारी

3 20 **मॉडल स्कूल कार्यक्रम**

6,000 उच्च उत्कृष्टता वाले मॉडल स्कूलों की स्थापना के लक्ष्य के साथ 2008-09 में मॉडल स्कूल कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मैं इस नई योजना के लिए 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं।

(नोडल मंत्रालय/विभाग :
स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग)

सरकार द्वारा 6.11.2008 को 2500 मॉडल स्कूलों की योजना को अनुमोदित किया गया। शेष 3500 स्कूलों के संबंध में, योजना आयोग से परामर्श कर योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है । इसी के साथ, केद्र प्रायोजित योजना के पहले चरण में ब्लॉक स्तर पर 6000 मॉडल स्कूलों को स्थापित करने का कार्य पूरा कर लिया गया है । इस योजना संबंधी दिशा-निर्देशों को सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिया गया है । इन

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			स्कूलों को निम्नलिखित ढंग से स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है: (क) 2500 स्कूलों को सार्वजनिक - निजी भागीदारी तरीके के अंतर्गत; (ख) 725 स्कूलों को राज्य सरकारों के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय के पैटर्न के अंतर्गत; और (ग) 275 पूर्णतः वित्तपोषित केन्द्रीय विद्यालय ऐसे जिलों में जहां सिविल क्षेत्र में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है। **कार्रवाई जारी**
4	21	**जवाहर नवोदय विद्यालय** जवाहर नवोदय विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय हैं। इन विद्यालयों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अधिक सुलभ्य बनाने के उद्देश्य से, सरकार की योजना 20 जिलों में ऐसे नवोदय विद्यालयों की स्थापना करने की है जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की बहुलता होगी। मैं इस प्रयोजन हेतु 2008-09 में 130 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग)	अ0जा0/अ0ज0जाति बहुल आबादी वाले जिलों में 20 जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी) की स्थापना का प्रस्ताव 4.9.2008 को अनुमोदित कर दिया गया है । 20 नए जवाहर नवोदय विद्यालयों में से, 10 की स्थापना उन जिलों में करने की है जो अनुसूचित जाति बहुल हों और शेष 10 जिले अनुसूचित जनजाति आबादी बहुल हों । इस प्रयोजन हेतु, 20 प्रतिशत से अधिक की अ0जा0 अथवा अ0ज0जाति की जनसंख्या वाले जिलों को क्रमशः अ0जा0 अथवा अ0जन0जाति बहुल जिलों के रूप में माना जाएगा । चूंकि केवल 10 विद्यालयों को अ0जा0 बहुल जिलों में खोला जाना है, अधिक से अधिक एक विद्यालय को अ0ज0जा0 बहुल जिलों में खोला जाना है और एक राज्य में अधिक से अधिक एक विद्यालय खोला जाएगा । नवोदय विद्यालय समिति ने सूचना दी है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में (अनु0जाति बहुल जिला) और मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले (अनु0जनजाति बहुल जिला) में एक-एक जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने हेतु स्वीकृति आदेश उनके 5.1.2009 के पत्र द्वारा जारी किया गया है । **कार्रवाई जारी**
5	22	**कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय** कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्प संख्यक समुदायों की बालिकाओं की शिक्षा में समानता के मुद्दे का निराकरण करने के उद्देश्य से की गई थी। अब तक, 1,754 विद्यालय आरम्भ किए गए हैं और मैं शैक्षणिक रूप से पिछड़े खण्डों में 410 और विद्यालयों की स्थापना के लिए निधियां आबंटित करने (सर्व शिक्षा अभियान के भाग के रूप में) का प्रस्ताव करता हूं। मैं बालिका विद्यालयों से सम्बद्ध नए छात्रावासों की स्थापना करने अथवा मौजूदा छात्रावासों का उन्नयन करने हेतु 80 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करने का भी प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग)	पात्र प्रखंडों और शहरों में 398 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलने हेतु स्वीकृति संबंधित राज्य सरकारों को दे दी गई है और अब वे इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना की कार्रवाई कर रहे हैं । 31.8.2008 की स्थिति के अनुसार, कुल 155 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए हैं। शिक्षा की दृष्टि से प्रत्येक पिछडे प्रखंडों में केजीबीवी परिसरों में इन्हें खोलने की तरजीह देते हुए, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए 100 स्थानों वाले एक छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव 3.10.2008 को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है । सभी राज्य सरकारों को इस योजना के दिशा-निर्देश भेज दिए गए हैं । छात्रावासों के लिए स्वीकृति, राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की व्यवहार्यता के आधार पर दी जाएगी । **कार्रवाई जारी**
6	23	**राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति** पिछले वर्ष, मैंने राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की थी ताकि छात्र आठवीं कक्षा	राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना को 9.5.2008 को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है । वर्ष 2008-09 और

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		से आगे और बारहवीं कक्षा तक शिक्षा जारी रख सकें। मैंने इस वायदे के साथ 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था कि अगले तीन वर्षों के लिए समान राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यह योजना 2008-09 से क्रियान्वित की जाएगी और इसमें 100,000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। अपना वायदा पूरा करते हुए, मैं 750 करोड़ रुपए आवंटित करता हूं जिससे चार वर्ष में 3000 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि का निर्माण हो सकेगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग))	2009-10 की छात्रवृत्तियां प्रदान करने हेतु चयन परीक्षाएं क्रमशः अगस्त, 2008 और नवम्बर, 2008 में आयोजित की गई । 750 करोड़ रुपए की राशि 30.12.2008 को भारतीय स्टेट बैंक में आधारभूत निधि के रूप में जमा की गई है । इस निधि से अर्जित ब्याज का उपयोग चयनित छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने हेतु किया जाएगा । **कार्रवाई जारी**
7	24	**नेहरू युवा केंद्र** 123 जिलों में नेहरू युवा केंद्र नहीं हैं। मैं इन जिलों में से प्रत्येक में एक केंद्र की स्थापना के लिए 2008-09 में 10 करोड़ रुपए का आवंटन करने और पहले वर्ष में आवर्ती व्यय को वहन करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : युवा कार्य और खेल मंत्रालय)	केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि स्थापित किए जाने वाले नए नेहरू युवा केंद्र (एनवाईके) का अतिरिक्त प्रभार निकटवर्ती जिलों के युवा समन्वयकर्ताओं को सौंपा जाए। बजट की प्राप्ति के तुरंत पश्चात नए एकक काम करना शुरू कर देंगे जिसके लिए नए नेहरू युवा केंद्रों से प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है तथा यह केंद्र सरकार के विचाराधीन है । **कार्रवाई जारी**
8	25	**मध्याह्न भोजन योजना** मध्याह्न भोजन योजना की प्रसुविधा शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3,479 खंडों में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए दी गयी है । इस योजना का विस्तार अब देश में सभी विकास खंडों में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए किया जाएगा। इससे 2.5 करोड़ अतिरिक्त बच्चों को लाभ पहुंचेगा जिससे इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले बच्चों की कुल संख्या 13.9 करोड़ हो जाएगी। (नोडल मंत्रालय/विभाग : स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग)	वर्ष 2007-08 के दौरान स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत देश के शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े 3,479 प्रखंडों में उच्च प्राथमिक कक्षाओं VI-VIII के बच्चों को शामिल किया गया था। वर्ष 2008-09 से अब इस योजना का विस्तार देश के सभी क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक स्तर तक कर दिया गया है। इस योजना के तहत, 11.74 करोड़ बच्चों (प्राथमिक स्तर पर 8.24 करोड़ तथा उच्च प्राथमिक स्तरों पर 3.50 करोड़) को शामिल किया गया है। **कार्यक्रम जारी**
9	26	**उच्च शिक्षा संस्थान** ज्ञान शाक्ति है। ज्ञान से ही 21वीं सदी में सफलता के द्वार खुलेगें। भारत के पास ज्ञान से परिपूर्ण समाज बनने का अवसर है। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद, शिलांग में एक भारतीय प्रबंध संस्थान; मोहाली, पुणे और कोलकाता में एक-एक आईआईएसईआर तथा कांचीपुरम में एक आईआईआईटी ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। सरकार अब तक कवर न किए गए राज्यों में प्रत्येक में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। वर्ष 2008-09 में 16 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ हमारा इसे शुरू	**(i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) :** सरकार ने 8 नए आईआईटी की स्थापना की है । इन 8 आईआईटी में से, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब और गुजरात में स्थित 6 नए आईआईटी में जुलाई-अगस्त, 2008 से बी-टेक पाठयक्रमों के लिए कक्षाएं शुरू हो गई हैं । शैक्षणिक वर्ष 2009-10 से आईआईटी हिमाचल प्रदेश और आईआईटी, इंदौर में बी-टेक पाठ्यक्रमों के लिए कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया है । नए आईआईटी के लिए, ग्यारहवीं योजना में 2000 करोड़ रुपए और 2008-09 के लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है । 8

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, आध्र प्रदेश, बिहार और राजस्थान में एक-एक आईआईटी; भोपाल और तिरुवनन्तपुरम में दो आईआईएसईआर; तथा भोपाल और विजयवाड़ा में योजना और वास्तुकला के दो विद्यालय खोलने का हमारा प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री जी के वायदे के अनुसार ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान उच्च शिक्षा के और अधिक संस्थानों की स्थापना की जाएगी। (नोडल मंत्रालय/विभाग : उच्चतर शिक्षा विभाग)	नए आईआईटी में प्रत्येक में अगले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष निदेशक का एक पद, रजिस्ट्रार का एक पद और प्राध्यापक के 30 पदों का सृजन किया गया है । (ii) **भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम)** : ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत, देश में सात आईआईएम की स्थापना की परिकल्पना की गई है जिनमें से राजीव गांधी भारतीय प्रबंध संस्थान (आरजीआईआईएम), शिलांग में एक आईआईएम की स्थापना शिलांग (मेघालय) में की गई है । इसने वर्ष 2008-09 से पहला शैक्षणिक सत्र आरंभ कर दिया है । शेष छः आईआईएम की स्थापना तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़ (रायपुर), उत्तराखंड और हरियाणा राज्यों में की जाएगी । प्रत्येक आईआईएम के लिए कुल परिव्यय में पांच वर्षों के लिए 120.67 करोड़ रुपए का अनावर्ती व्यय और 10 वर्ष की अवधि के लिए 89.58 करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय शामिल है । (iii) **भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर):** मोहाली, पुणे और कोलकाता में एक-एक आईआईएसईआर पहले से कार्य कर रहे हैं और अगस्त, 2008 से भोपाल और तिरुवानंतपुरम स्थित दो और आईआईएसईआर के अस्थायी परिसरों में कक्षाएं शुरू की गई हैं। आईआईएसईआर, भोपाल और आईआईएसईआर तिरुवानंतपुरम के स्थायी परिसर के लिए राज्य सरकारों द्वारा स्थलों की पहचान कर ली गई है । भोपाल एवं तिरुवानंतपुरम स्थित आईआईएसईआर के निदेशकों की नियुक्ति कर ली गई है और उनकी सोसाइटियां और शासी बोर्ड भी गठित कर लिए गए हैं । तिरुवानंतपुरम स्थित आईएसईआर के लिए भूमि-आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। (iv) **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी):** 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, 20 आईआईआईटी की स्थापना सरकारी-निजी भागीदारी के आधार पर की जाएगी। आईआईआईटी की स्थापना में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संबंधित राज्य, जहां ये आईआईटी की स्थापना की जाएगी, की सरकारें भागीदार होंगे । स्थापित की जाने वाली आईआईआईटी के स्थलों को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। नैस्काम द्वारा तैयार की गई मॉडल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की जांच की जा रही है । (v) **योजना और स्थापत्य कला स्कूल (एसपीए):** वर्ष 2008 के दौरान, भोपाल और विजयवाड़ा स्थित दो नए एसपीए ने अपने अस्थायी परिसरों में कार्य करना आरंभ कर दिया है । (vi) **राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी):** 10 नए एनआईटी खोलने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है । इस संबंध में, 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जहां एक भी एनआईटी नहीं है, से अनुरोध किया गया है कि वे अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एनआईटी खोलने के लिए प्रस्ताव भेजें ।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			(vii) माल्दा, प0 बंगाल में गनी खां चौधरी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है ।
10	27	**डक्कन स्नातकोत्तर कालेज और अनुसंधान संस्थान, पुणे को अनुदान** मैं डक्कन स्नातकोत्तर कालेज और अनुसंधान संस्थान, पूणे को 5 करोड़ रुपए का अनुदान देने का प्रस्ताव भी करता हूँ। यह भारत में आधुनिक शिक्षा के सर्वाधिक प्राचीन शैक्षणिक संस्थानों में है। (नोडल मंत्रालय/विभाग : उच्चतर शिक्षा विभाग)	डक्कन स्नातकोत्तर कालेज और अनुसंधान संस्थान, पुणे को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 2.5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है । **कार्रवाई जारी**
11	28	**उत्प्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान वृत्ति में नवोन्मेष (इन्सपायर) नामक नई योजना** हमें अपने बच्चों को विज्ञान और अनुसंधान तथा विकास विषयों में कैरियर चुनने को प्रोत्साहित करना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उप्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान वृत्ति में नवोन्मेष (इन्सपायर) नामक एक योजना प्रारम्भ करेगा जिसमें नौजवान शिक्षार्थियों (10-17 वर्ष) की छात्रवृत्तियों, सतत विज्ञान शिक्षा छात्रवृत्तियां (17-22 वर्ष) और अनुसंधान कैरियर (22 से 32वर्ष) के लिए अवसरों को शामिल किया जाएगा। मैं ज्ञान आधारित समाज के निर्माण हेतु इस उप्रेरित योगदान के सम्बन्ध में वर्ष 2008-09 के लिए 85 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय)	"उप्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान वृत्ति नवोन्मेष (इन्सपायर) योजना" में तीन संघटक शामिल हैं । ये निम्नलिखित हैं : (i) विज्ञान के लिए प्रतिभाओं को यथासंभव आकर्षित करने संबंधी योजना (सीट्स); (ii) उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति (एसएचई); और (iii) अनुसंधान जीवन-वृत्ति सुनिश्चित अवसर (एओआरसी)। 'उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति' संघटक 11वीं योजना अवधि के लिए 820 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 18.9.2008 को अनुमोदित किया गया। अन्य दो संघटक अर्थात् 'सीट्स' और 'एओआरसी' भी 11वीं योजना अवधि के लिए 1,159.25 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 27.11.2008 को अनुमोदित किए गए । माननीय प्रधानमंत्री ने 13.12.2008 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में इन्सपायर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा पुणे, कोलकाता, मोहाली, भोपाल और त्रिवेद्रम स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) तथा राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईएसईआर) में अध्ययन कर रहे 386 छात्रों को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इन्सपायर छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं । पूरे देश में अन्य छात्रों को भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से छात्रवृत्तियां जारी की जा रही हैं । इन्सपायर इन्टर्नशिप के अंतर्गत, 15-21 दिसम्बर, 2008 के दौरान भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी),इलाहाबाद में एक विज्ञान शिविर का आयोजन किया गया । इसमें 7 नोबल विजेता और उत्तर प्रदेश राज्य के 11वीं कक्षा के लगभग 300 छात्र (10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में शीर्ष 1 शतमक वाले) उपस्थित हुए।यह पहला विज्ञान शिविर है और अब कई विज्ञान शिविरों की योजना बनाई जा रही है। इन्सपायर पुरस्कार के तहत, दीमापुर में 27 - 31 दिसम्बर, 2008 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान संगोष्ठी में पहचान किए गए लगभग 100 स्कूली बच्चों ने अपने मॉडलों/वस्तुओं (4 छात्रों के समूह में) का प्रदर्शन किया। उन्होनें 3-7 जनवरी, 2009 के दौरान नार्थहिल यूनिवर्सिटी, शिलांग, मेघालय में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी भाग लिया। **कार्रवाई पूर्ण**

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
12	29	**राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना** राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा समय-समय पर की गयी सिफारिशों पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है। कुछ सिफारिशों को ग्यारहवीं योजना में शामिल कर लिया गया है। सरकार ने सभी ज्ञान संस्थानों को इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ब्राडबैंड नेटवर्क के माध्यम से आपस में जोड़ने की महत्वपूर्ण सिफारिश स्वीकार कर ली है। इससे संसाधनों में भागीदारी तथा संयुक्त अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना के लिए सूचना तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 100 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग योजना आयोग)	(i) राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना को समन्वित एवं मानीटर करने हेतु, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डा0 आर0 चिदम्बरम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति अप्रैल, 2008 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में गठित की गई है । विस्तृत परिरूप दस्तावेज, जिसमें स्थान-विज्ञान और अन्य तकनीकी ब्यौरा शामिल है, को उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रोफेसर एस0वी0 राघवन, आईआईटी, चेन्नई की अध्यक्षता में बनायी गई तकनीकी परामर्शदात्री समिति द्वारा तैयार किया गया है। (ii) राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क को "सिद्धांततः " अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और एक दिवसीय ' एनकेएन - भाग लेने वाली संस्थाओं की संगोष्ठी' का आयोजन 3.11.2008 को किया गया (iii) राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की 12.11.2008 को आयोजित की गयी बैठक की सिफारिशों के अनुसार, इस नेटवर्क की स्थापना का प्रारंभिक चरण, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के बजट का उपयोग करके 2.5 जीबीपीएस क्षमता के लिए निकनेट के 15 पाइंट्स ऑफ प्रिजेंस (पीओपी) का उन्नयन कर, आरंभ किया गया है । आधार के रूप में इन पीओपी का प्रयोग कर, उच्च शिक्षा वाली लगभग 57 संस्थाओं को जोड़ा जाएगा । निकनेट पीओपी के उन्नयन का कार्य चल रहा है । (iv) दो परियोजनाओं नामतः 'लगभग 57 संस्थाओं में न्यूनतम आधारभूत ढांचा का सृजन करना' जिसके लिए 3 माह की अवधि के लिए 48.35 करोड़ रुपए का परिव्यय है, और ' राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के अतिरिक्त आईआईटी में वर्चुअल क्लासरूम का निर्माण' जिसमें एक वर्ष की अवधि के लिए 45.5 करोड़ रुपए का परिव्यय है, आरंभ की गई है । (v) अब राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्ट एनकेएन का एक मुख्य आधार स्थापित किया गया है जिसमें 15 पीओपी मल्टी-गीगाबिट क्षमता के हैं । उच्च शिक्षा और उन्नत अनुसंधान की लगभग 20 संस्थाओं को इस नेटवर्क से पहले ही जोड़ दिया गया है। **कार्रवाई जारी**
13	31	**राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन** राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) केन्द्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य एक पूर्ण क्रियाशील, समुदाय आधारित, विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य सुपुर्दगी प्रणाली की स्थापना करना है। 462,000 सम्बद्ध सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं (आशा) और लिंक वर्करों को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा वे कार्यरत हैं। 177,924 ग्रामीण स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समितियां कार्यरत हैं। 323 जिला अस्पतालों का उन्नयन कार्य हाथ में लिया गया है। वर्ष 2008-09 के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य नियत किए गए हैं और मैं इस मिशन के लिए आवंटन को	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) का उद्देश्य ग्रामीण स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं में होने वाले अंतर को कम करना है । इसके लिए संबंद्ध सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) एवं उन्नत अस्पताल परिचर्या का संवर्ग बनाया जाना है तथा सेक्टर के अंदर एवं अंतर - सेक्टर समाभिरूपता को उन्नत करने और संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए जिला स्तर पर इस कार्यक्रम को विकेन्द्रीकृत करना है । अब तक की स्थिति के अनुसार, 628,831 आशा/संयुक्त कामगारों का चयन कर लिया गया है। इनमें से 548,161 आशा /संयुक्त कामगारों को प्रशिक्षित किया गया है और वे कार्य कर रहे हैं ।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		बढ़ाकर 12,050 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)	320 जिला अस्पतालों को उन्नयन के लिए चुना गया है । स्वच्छता, सफाई, पेयजल आदि जैसे कार्यों में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए, पूरे देश के प्रत्येक गांव में ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति (वीएचएससी) गठित की जा रही है। 297,794 वीएचएससी गठित कर दी गयी हैं और इन्होंने कार्य आरंभ कर दिया है। **कार्यक्रम जारी**
14	32.	**एचआईवी/एड्स** राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 993 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। अध्ययन में यह पाया गया है कि एचआईवी/एड्स की व्यापकता दर 0.9 प्रतिशत से घटकर 0.36 प्रतिशत रह गयी है। यह कुछ हद तक सन्तोष का विषय है। (नोडल मंत्रालय/विभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)	वर्ष 2008-09 के लिए अवसंरचना प्रशिक्षण लक्षित हस्तक्षेप आदि का प्रस्ताव किया गया है। संपूर्ण वर्ष के लिए निर्धारित अलग-अलग लक्ष्य एवं पहली दो तिमाहियों के दौरान प्राप्त उपलब्धियां इस प्रकार है:

प्राप्य	वार्षिक लक्ष्य (संख्या)	सितम्बर, 2008 तक उपलब्धियां (संख्या)
समेकित परामर्श और परीक्षण केंद्र	583	1,034
स्टाफ का प्रशिक्षण	229,956	134,042
जिला स्तरीय ब्लड बैंक का आधुनिकीकरण	4	3
रक्त संघटक पृथक्करण यूनिट	40	18
प्लाज्मा फ्रेक्शनेशन यूनिट	1	0
एसटीआई सेवा सुलभ व्यक्तियों की संख्या	10 मिलियन (2.5एम एनएसीओ हेतु)	1,411,893
लक्षित हस्तक्षेप	600	278
सामुदायिक परिचर्या केंद्र	62	54
नए एआरटी उपचार केन्द्र	59	38
स्कूल एड्स शिक्षा के अंतर्गत आने वाले स्कूल	14,441	3,575
स्थापित जिला यूनिटों की संख्या	154	43

कार्यक्रम जारी

15	33	**पोलियो** पोलियो को समाप्त करने का अभियान एक संशोधित रणनीति के तहत जारी है और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के उच्च जोखिम वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मैं इस उद्देश्य हेतु वर्ष 2008-09 में 1,042 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)	वाइल्ड पोलियो वाइरस को फैलने से रोकने के लिए, वर्ष 2007 में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में पूरक रोग प्रतिरक्षण कार्यों को बढ़ा दिया गया है । निम्नलिखित कार्यक्रमों का सूत्रपात किया गया है: (i) पी-। और पी-3 विषाणुओं के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उच्च जोखिम वाले जिलों एवं राज्यों में मोनोवेलेंट ओरल पोलियो वेक्सीन (एमओपीवी । और एमओपीवी 3) का प्रयोग किया जा रहा है । इस कार्य नीति के कारण, वर्ष 2007 में टाइप-। वाइल्ड पोलियो वायरस के प्रसार के नियंत्रण में काफी प्रगति हुई है । 2006 में हुए पी-। के 648

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			मामलों की तुलना में, 2007 में अब तक 83 मामले होने की सूचना मिली है । इसके अलावा, 2007 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विशेषक्षेत्री जिलों में टाइप-। वाइल्ड पोलियो वायरस के केवल 5 मामले सूचित किए गए हैं । इसके अलावा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्य जिले अर्थात मुरादाबाद और जेपी नगर, जो 2006 में यह रोग फैलने के मुख्य केंद्र थे, में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप-। का पिछले एक वर्ष में कोई मामला जानकारी में नहीं आया है । (ii) मार्ग में बच्चों के टीकाकरण हेतु, रेलवे स्टेशनों, लम्बी दूरी वाली ट्रेनों के अंदर, मुख्य सड़क चौराहों, धार्मिक सभाओं में टीकाकरण बूथ स्थापित किए जा रहे हैं तथा प्रत्येक दौर में यूपी, बिहार, और मुम्बई में 5 मिलियन से अधिक बच्चों को टीका लगाया गया है। (iii) बच्चों को लाने और टीकाकरण के लिए आशा को टीम सदस्यों के रूप में शामिल कर लिया गया है। (iv) दिसम्बर, 2008 के दौरान, सभी राज्यों और संघ राज्यों में 21.12.2008 को एनआईडी आयोजित किया गया। 9.01.2009 की स्थिति के अनुसार, राज्यों से 551 मामलों की पुष्टि हुई है । इनमें से उत्तर प्रदेश और बिहार से क्रमशः 298 और 232 मामलों की सूचना मिली है। **मॉनिटरिंग जारी**
16	34	**राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना** वर्ष 2008-09 में दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारम्भ करने की योजना है। प्रथम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसके अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत बी.पी.एल. श्रेणी में आने वाले प्रत्येक ऐसे कामगार और उसके परिवार के लिए 30,000 रुपए के स्वास्थ्य कवर की व्यवस्था होगी। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष होता है कि अधिकांश राज्य इस योजना में शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं और यह 1 अप्रैल, 2008 से दिल्ली, हरियाणा तथा राजस्थान में प्रारम्भ की जाएगी। मैं वर्ष 2008-09 में केन्द्र के हिस्से के प्रीमियम के बतौर 205 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई), 1.10.2007 को आरंभ की गयी । यह 1.4.2008 से लागू है । 31.12.2008 तक, 21 राज्यों तथा एक संघ राज्य ने इस योजना को कार्यान्वित करने की कार्रवाई की है । उपर्युक्त राज्यों/संघ राज्यों में से, 14 राज्यों अर्थात् राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, गुजरात, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड और तमिलनाडू ने स्मार्ट कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है । इन राज्यों में 8,127,455 व्यक्तियों का स्वास्थ्य बीमा करते हुए कुल 1,625,491 स्मार्ट कार्ड जारी किए गए है । पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड प्रथम राज्य है जिसने इस योजना को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया आरंभ की तथा इसके बाद, त्रिपुरा और असम हैं। अरुणाचल प्रदेश के अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्य इस योजना को कार्यान्वित करने की कार्रवाई कर रहे हैं । मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के अलावा, अन्य राज्य भी चालू वर्ष में इस योजना को कायान्वित करने की कार्रवाई कर रहे हैं । **कार्यक्रम जारी**
17	35	**राष्ट्रीय वृद्धजन कार्यक्रम** अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम वृद्ध जनों के लिए होगा। वर्ष 2008-09 में 400 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय से राष्ट्रीय वृद्धजन कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा। अन्य उपायों के साथ-साथ, हम ग्यारहवीं	राष्ट्रीय वृद्धजन कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव और दो राष्ट्रीय वृद्धजन संस्थानों की स्थापना संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है। 2008-09 के दौरान 10 अभिज्ञात चिकित्सा महाविद्यालयों में जराचिकित्सा विभाग की स्थापना के प्रस्ताव के विषय में सभी

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		पंचवर्षीय योजना के दौरान दो राष्ट्रीय वृद्धजन देखरेख संस्थान, आठ क्षेत्रीय केन्द्र और प्रत्येक राज्य में एक मेडिकल कालेज/तृतीयक (टरशियरी) अस्पताल में एक जरा चिकित्सा देखभाल विभाग स्थापित करेंगे। (नोडल मंत्रालय/विभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)	अभिज्ञात चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों के दल द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है । **कार्रवाई जारी**
18	36	**एकीकृत बाल विकास सेवा योजना** एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के सार्वजनीकरण का कार्य जारी है। दिसम्बर, 2007 के अन्त में, 5,959 आईसीडीएस परियोजनाएं और 932,000 आंगनबाड़ी और छोटे आंगनवाड़ी केन्द्र कार्यरत थे। लाभार्थियों की संख्या बढ़ कर 629 लाख बच्चे और 132 लाख गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताएं हो गयी। मैं इस योजना के लिए आवंटन को वर्ष 2007-08 में किए गए 5,293 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2008-09 में 6,300 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)	एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), योजना-विस्तार के तीसरे चरण में गुणवत्ता लाकर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता केन्द्रों की कुल संख्या 14 लाख तक पहुंचाकर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आंगनबाड़ी सहायकों के मानदेय में वृद्धि करके इस योजना के सार्वभौमिकीकरण के प्रस्तावों को सरकार ने 16.10.2008 को अनुमोदित कर दिया है । उसके तहत भारत सरकार के आदेश अब सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी कर दिए गए हैं। **कार्रवाई पूर्ण**
19	38	**अग्रगामी (फ्लैग शिप) कार्यक्रम के अधीन प्रगति** जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के आठ अग्रगामी कार्यक्रम हैं। मैंने अभी तक शिक्षा क्षेत्र के दो (एसएसए और एमएमएस) और स्वास्थ्य क्षेत्र के दो (एनआरएचएम और आईसीडीएस) कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला है। अब मैं चार अन्य अग्रगामी कार्यक्रमों पर प्रस्तावित आवंटन का उल्लेख करुंगा:	(i) **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस):** यह योजना शुरू में 2006-07 में 200 पिछड़े जिलों में चल रही थी, तथा बाद में, 2007-08 में इसमें 130 और जिलों को शामिल कर लिया गया । देश के सभी जिलों को 2008-09 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम के तहत लाया गया है।
		❑ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) को भारत के सभी 596 ग्रामीण जिलों में प्रारम्भ किया जाएगा। प्रारम्भ में, हम इसके लिए 16,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएंगे। इस पर किसी के दिमाग में यह आशंका नहीं होनी चाहिए: ज्यों मांग में बढ़ोत्तरी होगी, रोजगार की वैध गारंटी की पूर्ति हेतु और अधिक धन उपलब्ध कराया जाएगा।	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत, ब0अ0 2008-09 में 16,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और 10,500 करोड़ रुपए का आवंटन प्रथम पूरक अनुदान के रूप में किया गया। 3500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन का भी निर्णय लिया गया जिससे चालू वर्ष में इस कार्यक्रम हेतु कुल आवंटन बढ़कर 30,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। इस कार्यक्रम से चालू वर्ष में दिसम्बर, 2008 तक लगभग 137.67 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए गए जिससे इस कार्यक्रम के आरंभ होने से अब तक, 371.76 करोड़ श्रम दिवस रोजगार के लिए सृजित हो चुके हैं । **कार्रवाई पूर्ण**
		❑ जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शहरी आधारभूत संरचना में सुधार लाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। यह मिशन शहरी शासन तथा नगरों से सम्बन्धित कानूनों में सुधार लाने में भी सफल हुआ है। मैं आवंटन को वर्ष 2007-08 में किए गए 5,482 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2008-09 में 6,866 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं।	(ii) **जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)** : वित्त वर्ष 2008-09 (26.12.2008 तक) में, 6,836.20 करोड़ रुपए लागत की 48 परियोजनाएँ अनुमोदित की गयी हैं । एसीए की 3,047.53 करोड़ रुपए की राशि वचनबद्ध है जिसमें से 1,346.19 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है । **कार्यक्रम जारी**

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		❑ राजीव गांधी पेयजल मिशन का उद्देश्य कवर न की गयी बस्तियों और छूट गयी बस्तियों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करना और स्वच्छ पेयजल से जुड़े गुणवत्ता संबंधी मुद्दों का समाधान करना है। मैं आबंटन को वर्ष 2007-08 में किए गए 6,500 करोड़ रुपए के मुकाबले, बढ़ाकर वर्ष 2008-09 में 7,300 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। अभी तक इस मिशन के अन्तर्गत जल की कमी वाले स्थानों के स्कूली बच्चों के लिए पृथक संघटक नहीं है। हमारे बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। इसलिए, मैं, मिशन को पृथक उप-शीर्ष के अन्तर्गत निधियां आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि जल की कमी वाली बस्तियों में प्रत्येक स्कूल को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एकल प्रणाली संस्थापित की जाए। प्रत्येक प्रणाली की लागत, उसकी प्रौद्योगिकी तथा डिजाइन को देखते हुए, 15,000 रुपए से 30,000 रुपए के बीच होने का अनुमान है। चूंकि चार वर्षों हेतु एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी, अतः मैं, वर्ष 2008-09 में 200 करोड़ रुपए के प्रारम्भिक आबंटन का प्रस्ताव करता हूं। ❑ पूर्ण स्वच्छता अभियान में लोगों की आदतों तथा मनोवृत्तियों में पूरी तरह बदलाव लाना निहित है, और यह एक अनवरत प्रक्रिया है। मैं, वर्ष 2008-09 में 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : ग्रामीण विकास विभाग शहरी विकास मंत्रालय पेय जलापूर्ति विभाग)	(iii) **राजीव गांधी पेय जल मिशन के तहत एकल पेय जल प्रणालीः** सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय तकनीकी दल गठित किया गया । इसमें नवीकृत तकनीकी संस्थाओं नामतः भारतीय मानक ब्यूरो, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र आदि से सदस्य शामिल किए गए हैं । इस उच्च स्तरीय तकनीकी दल ने परस्पर व्यापक विचार-विमर्श करने के पश्चात् विभाग को कई प्रौद्योगिकी विकल्पों का सुझाव दिया । इन प्रौद्योगिकी विकल्पों के आधार पर, सरकार ने, प्रारंभ में ग्यारहवीं योजना के लिए यह योजना मंजूर की । इस योजना के कार्यान्वयन के एक वर्ष बाद, इसका अन्य किसी पक्ष द्वारा स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाएगा और उनके परिणामों का समुचित रूप से विश्लेषण किया जाएगा । इसके आधार पर, इस कार्यक्रम का पूरे देश में प्रसार किया जाएगा जिससे यह सभी गांवों के विद्यालयों और समुदायों तक पहुँचे और इसमें साधनहीनता, लिंग और समानता के पहलुओं को प्राथमिकता दी जाएगी । "जलमणि" के नाम से ज्ञात इस योजना के दिशा-निर्देशों को भी सरकार की मंजूरी प्राप्त हो गई है । विद्यमान वर्ष के लिए, आरंभ में, 100 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है और इसमें लगभग 50,000 ग्रामीण विद्यालयों को शामिल किया गया है । यह योजना देश में सफलतापूर्वक शुरू कर दी गई है । वर्ष के दौरान इस योजना की मानीटरिंग और समीक्षा की जाती रहेगी । **कार्रवाई पूर्ण** (iv) **समग्र सफाई अभियानः** वर्ष 2004 में सफाई अभियान के तहत गांवों के 27.35 प्रतिशत परिवार शामिल थे जिनकी संख्या अब बढ़कर 59% से भी अधिक हो गई है । वर्ष 2008-09 में अब तक, अलग-अलग 73.98 लाख घरों में तथा 1.50 लाख विद्यालयों में प्रसाधन सुविधाओं का निर्माण किया जा चुका है । इस वर्ष 1200 करोड़ रुपए के बजट आबंटन में से अब तक, 914.74 करोड़ रुपए (76%) की राशि जारी की जा चुकी है । **कार्यक्रम जारी**
20	39	**अपक्षारीकरण संयंत्र** माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने जुलाई 2004 में चेन्नई के निकट खारापन दूर करने का एक संयंत्र लगाने के लिए अपने समर्थन की घोषणा की थी। अब तमिलनाडु सरकार से सरकारी निजी भागीदारी के तहत एक संयंत्र लगाने का प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। चूंकि इस प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु जांच की जाएगी, इसलिए मैं, वर्ष 2008-09 में इस परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता देने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : शहरी विकास मंत्रालय)	सरकार ने 2.01.2009 को चेन्नई के निकट नेम्मेली नामक स्थान पर 908.28 करोड़ रुपए की कुल लागत से 100 एम एल डी की क्षमता वाले एक सी वाटर रिजर्व ओसमोसिस डिसेलीनेशन प्लांट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है । इसमें से 871.24 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता अनुदान के तौर पर तमिलनाडु राज्य सरकार को वित्त वर्ष 2008-09 और 2009-10 में जारी की जाएगी । **कार्रवाई पूर्ण**

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
21	41	**पूर्वोत्तर की विशेष आवश्यकताओं का समाधान** पूर्वोत्तर क्षेत्र और विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश तथा सीमावर्ती क्षेत्र विशेष समस्याओं का सामना करते हैं और जिनको सामान्य तरीकों से अथवा सामान्य स्कीमों के माध्यम से नहीं निपटाया जा सकता। इसलिए, सरकार का इन क्षेत्रों की त्वरित आवश्यकताओं की पहचान करने और उन्हें विशेष व्यवस्था के तहत पूरा करने का प्रस्ताव है। इस प्रक्रिया पर कार्रवाई करने हेतु, मैं इस उद्देश्य हेतु समर्पित निधि में 500 करोड़ रुपए की राशि रखने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभागः पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय योजना आयोग)	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने विशेष निधियों के जरिए वित्तपोषण हेतु 9 परियोजना प्रस्ताव निर्धारित किए हैं। इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित हैः 1. "उत्तर पूर्व को निकट लाने" की योजना के तहत, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय को 17.75 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है । 2. "पूर्वोत्तर क्षेत्र युवा कौशल विकास कार्यक्रम" योजना के तहत, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय को अध्यापकों, परिचारकों(नर्सों), पशु-चिकित्सा सहायकों, कृषि सहायकों आदि के कौशल विकास के लिए 36.28 करोड़ रुपए की कुल राशि आबंटित की गई है । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है । 3. दीमापुर, नागालैण्ड में "आई टी की शिक्षा के लिए उच्चतर शिक्षा केन्द्र की स्थापना" नामक योजना के तहत, उच्चतर शिक्षा विभाग को 50 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है । 4. अरुणाचल प्रदेश में "नया हवाई अड्डा अवसंरचना विकास" नामक योजना के तहत, नागर विमानन मंत्रालय को 80 करोड़ रुपए की राशि आबंटित कर दी गई है । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है । 5. खरीद एवं संग्रहण केन्द्रों तथा कृषि प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना के लिए "संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना-एनईआरएएमएसी" संबंधी एक नई योजना के तहत, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय को 80 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है । 6. शेष पूर्वोत्तर राज्यों में "अरुणाचल सीमा क्षेत्र इल्युमिनेशन कार्यक्रम लागू" करने की योजना के तहत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को 70.97 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है । 7. खुप्पी से तवांग तक 132 के वी की सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए, विद्युत मंत्रालय को 55 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है । 8. शिलांग, मेघालय में "फैशन प्रौद्योगिकी की शिक्षा के लिए नई संस्था की स्थापना" संबंधी योजना के तहत, वस्त्र मंत्रालय को 50 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है । परियोजना अनुमोदित हो गयी है । 9. पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न जिलों में "200 पेडेस्ट्रियन टाइप वायर रोप सस्पेंशन पुलों का निर्माण" नामक योजना के

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			तहत, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग को 60 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है ।
			कार्रवाई जारी
22	43	**विकास और वित्त निगम** कतिपय लाभ वंचित वर्गों के लिए विकास और वित्त निगमों की स्थापना की गयी है। मैं इन निगमों के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से अतिरिक्त इक्विटी सहयोग प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं:	(i) **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम(एनएमडीएफसी)** वर्ष 2008-09 में इस निगम को इक्विटी के तौर पर 75 करोड़ रुपए का समग्र बजट प्रावधान जारी कर दिया गया है।
			कार्रवाई पूर्ण
		करोड़ रुपए 1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम 75.00 2. कमजोर वर्गों के लिए तीन राष्ट्रीय वित्त और विकास निगम जिनमें शामिल हैं: 106.50 (I) सफाई कर्मचारी (II) अनुसूचित जाति (III) पिछड़ा वर्ग 3. राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम 50.00 4. राष्ट्रीय विकलांग जन विकास निगम 9.00	(ii) **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम(एन एस के एफ डी सी)**-30.00 करोड़ रुपए- इस निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी पूर्णतः प्रदत्त कर दी गई है । निगम को आगे और शेयर पूंजी, प्राधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाने के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, जारी की जाएगी ।
			कार्य जारी
			(iii) **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम(एन एस सी एफ डी सी)**- 45 करोड़ रुपए की समग्र राशि जारी कर दी गई है ।
			कार्रवाई पूर्ण
			(iv) **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम(एन बी सी एफ डी सी)**- 31.50 करोड़ रुपए का समग्र आबंटन जारी कर दिया गया है।
			कार्रवाई पूर्ण
			(v) **राष्ट्रीय/राज्य जनजाति वित्त एवं विकास निगम(एन टी एफ डी सी/एस टी एफ डी सी) (50.00 करोड़ रुपए)**- वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान एन टी एफ डी सी/एस टी एफ डी सी के लिए कोई निधि जारी नहीं की गई है । राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के राज्य जनजाति विकास एवं वित्त निगमों को सहायता की योजना का मूल्यांकन अध्ययन किया है । एन टी एफ डी सी/एस टी एफ डी सी को 11वीं योजना के दौरान इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए सहायता देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।
			कार्य जारी
		(नोडल मंत्रालय/विभाग : अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय)	(vi) **राष्ट्रीय विकलांग जन वित्त एवं विकास निगम**- 9.00 करोड़ रुपए का समग्र आबंटन जारी कर दिया गया है ।
			कार्रवाई पूर्ण
23	44	**छात्रवृत्तियां** पिछले बजटों में, मैंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए कई मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रमों की घोषणा की थी। ये सभी कार्यक्रम वर्ष 2008-09 में पर्याप्त निधियों के साथ जारी रहेंगें जैसा कि सारांश में नीचे दिया गया है:	(i) **अनुसूचित जाति मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाः** 750 करोड़ रुपए के आबंटन में से, 596.5 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है । चूंकि यह योजना संशोधित की जा रही है, इसलिए शेष राशि अपेक्षित अनुमोदन के बाद, जारी कर दी जाएगी ।
			कार्य जारी
		अनुसूचित जाति 804 करोड़ रुपए अनुसूचित जनजाति 195 करोड़ रुपए अन्य पिछड़ा वर्ग 164 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक (मैट्रिकोत्तर) 100 करोड़ रुपए	(ii) **अस्वच्छ कामधंधों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति योजनाः** वर्ष 2008-09 के दौरान 54 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों में से, 2.37 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है । छात्रवृत्तियों की दरों में वृद्धि करने और वचनबद्धता देयता के अतिरिक्त, 50 : 50 की वर्तमान वित्तपोषण पद्धति में बदलाव लाकर उसे 100 प्रतिशत करके यह योजना 25.12.2008 को संशोधित की गई है ।
			कार्य जारी

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		(नोडल मंत्रालय/विभाग : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातीय कार्य मंत्रालय)	(iii) **अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाः** 134 करोड़ रुपए के प्रावधान में से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए 98.01 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति के लिए 30 करोड़ रुपए के आबंटन में से, 11.55 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं । **कार्य जारी** (iv) **अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाः** यह योजना 29 नवम्बर, 2007 को अनुमोदित की गयी थी । 2008-09 के लिए 2.50 लाख छात्रवृत्तियों के लक्ष्य के मुकाबले, 31.12.2008 तक 58,955 छात्रवृत्तियाँ पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं। **कार्य जारी** (v) **अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाः** अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2008-09 में जारी रही और योजना के अंतर्गत, वर्ष 2008-09 के लिए 248.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान आबंटित किया गया है । इसमें से, विद्यमान वित्त वर्ष के दौरान अब तक, विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 170.44 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है । **कार्य जारी**
24	47	**अल्पसंख्यक** अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के आवंटन को वर्ष 2007-08 में किए गए 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2008-09 में 1,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। सरकार ने न्यायमूर्ति राजेन्द्र सच्चर समिति रिपोर्ट पर तेजी से अमल करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2007-08 में शुरू की गयी स्कीमों के अलावा, वर्ष 2008-09 में निम्नलिखित स्कीमों/उपायों को कार्यान्वित करना प्रस्तावित है: • 3,780 करोड़ रुपए की लागत पर, 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में से प्रत्येक जिले में एक बहु क्षेत्रीय विकास योजना तैयार की जाएगी। वर्ष 2008-09 में आवंटन 540 करोड़ रुपए होगा; 80 करोड़ रुपए के आबटन से मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति योजना; • मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण की योजना कार्यान्वित की जाएगी, और वर्ष 2008-09 में इसके लिए 45.45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया; • पर्याप्त अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले जिलों में दिसम्बर, 2007 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 256 शाखाएं खोली गयी। मार्च, 2008 तक 288 शाखाएं और 2008-09 में कई और शाखाएं खोली जाएंगी; • इस वर्ष प्रारम्भ की गयी कार्रवाई को जारी रखते हुए, अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बद्ध अधिक अभ्यर्थियों को केन्द्रीय-अर्द्ध सैनिक बलों में भर्ती किया जाएगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग वित्तीय सेवा विभाग)	(i) **बहु-क्षेत्र विकास कार्यक्रम :** 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए एक बहु-क्षेत्र विकास कार्यक्रम 27.3.2008 को अनुमोदित किया गया था। सभी जिलों में, 'विकास की कमी' का पता लगाने हेतु, आधारिक सर्वेक्षण किया गया है । अब तक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, प0 बंगाल, असम, मणिपुर, बिहार, मेघालय और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के 37 जिलों की योजनाएं अनुमोदित हो चुकी हैं और 31.12.2008 तक 195.82 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है । **कार्रवाई पूर्ण** (ii) **अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना :** यह योजना 2008-09 से कार्यान्वित की जा रही है। 2008-09 में 6 लाख छात्रवृत्तियों का लक्ष्य है । 31.12.08 तक, 195,637 छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गई हैं । **कार्य जारी** (iii) **मदरसा आधुनिकीकरण के पुनरूद्धार की योजना :** मदरसों के आधुनिकीकरण के जीर्णोद्धार की यह योजना अनुमोदित हो चुकी है और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित कर दी है, जिसमें उनसे प्रस्ताव भेजे जाने के लिए कहा गया है । **कार्य जारी** (iv) **पब्लिक सेक्टर बैंकों की शाखाएं खोलना :** वर्ष 2007-08 के दौरान, अल्पसंख्यक जनसंख्या बहुलता वाले जिलों में पब्लिक सेक्टर बैंकों की 534 शाखाएं खोली गई हैं । इसके अतिरिक्त, 2008-09 के दौरान अल्पसंख्यक जनसंख्या बहुलता वाले जिलों में, 30.9.2008 तक 240 और बैंक शाखाएं खोली गई हैं, जबकि इसके लिए लक्ष्य 500 से अधिक शाखाएं खोलने का था। **कार्य जारी**

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
25	48	**मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की कारपस निधि को बढ़ाना** मैं मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की कारपस निधि को बढ़ाने हेतु 60 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का भी प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	इस प्रतिष्ठान की कार्पस निधि को 2007-08 में 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 250 करोड़ किया गया था । वर्ष 2008-09 के लिए इस योजना के वास्ते 60 करोड़ रुपए का आबंटन है, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है । **कार्य जारी**
26	52	**स्व-सहायता समूह** भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) जनश्री बीमा योजना संचालित कर रहा है और यह 44 श्रेणी के लोगों को जीवन तथा स्थायी विकलांगता का कवर प्रदान करता है। इनमें से एक श्रेणी स्व-सहायता समूहों की है, लेकिन अभी तक केवल 35,000 स्व-सहायता समूहों को शामिल किया गया है। इस तथ्य पर विचार करते हुए, कि 30 लाख से अधिक स्व-सहायता समूह बैंकों की ऋण व्यवस्था से जुड़े हैं, मै इस श्रेणी पर विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव करता हूं। मैं एलआईसी से यह प्रस्ताव करता हूं कि वह इस स्कीम का शीघ्रता से विस्तार करे और ऋण के लिए बैंकों से जुड़े सभी महिला स्व-सहायता समूहों को शामिल करें। चूंकि प्रीमियम का आधा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा निधि के माध्यम से सब्सिडी रूप में प्राप्त है, इसलिए मैं, इस कारपस निधि को 500 करोड़ रुपए का अंशदान इस आश्वासन के साथ प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं कि जैसे ही इस स्कीम का विस्तार होगा, इसे वार्षिक अंशदान प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ यह स्कीम महिलाओं के सम्बन्ध में उन्हें जीवन तथा स्वास्थ्य कवर की व्यवस्था करते हुए एक नई प्रणाली का सूत्रपात करेगी। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	वर्ष 2008-09 के दौरान 31.12.2008 तक, कुल 75,356 स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को जनश्री बीमा योजना स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है । 2008-09 के व्यय के लिए पहली पूरक अनुदान मागों में सामाजिक सुरक्षा निधि में 500 करोड़ रुपए जारी करने का बजटीय प्रावधान अनुमोदित किया गया था । **मानिटरिंग जारी**
27	55	**महत्वपूर्ण योजनाओं के अधीन प्रगति** मैंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का पहले ही उल्लेख किया है। (नोडल मंत्रालय/विभाग : कृषि एवं सहकारिता विभाग)	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत, राज्य स्तरीय स्वीकृति समितियों द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तथा जिला कृषि योजनाएं तैयार करने हेतु, 2007-08 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1,246.89 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। वर्ष 2008-09 के दौरान, बजट अनुमानों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 3165.67 करोड़ रुपए का आबंटन था, जिसे संशोधित अनुमानों में घटाकर 2891.70 करोड़ रुपए कर दिया गया है । 23 पात्र राज्यों में से, 21 राज्यों ने वर्ष 2008-09 के दौरान कार्यान्वयन हेतु कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित परियोजना प्रस्तावों के अनुमोदनार्थ राज्य स्तरीय स्वीकृति समितियों की

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति

बैठकें आयोजित की हैं । विद्यमान वित्त वर्ष में इस योजना के अंतर्गत 31.12.2008 तक 1863.10 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

रबी 2007-08 के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन' आरंभ की गई है । इसका उद्देश्य ग्यारहवीं योजना की समाप्ति (2011-12) तक चावल, गेंहू और दलहनों का उत्पादन क्रमशः 10,8 और 2 मिलियन टन तक बढ़ाना है । इस योजना के लिए 4882.48 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया । वर्ष 2007-08 के दौरान, इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए, 398.75 करोड़ रुपए का बजट आबंटन का प्रावधान रखा गया था । इसके मुकाबले में, 398.73 करोड़ रुपए उपयोग में लाए गए हैं । वर्ष 2008-09 के लिए, 1100.00 करोड़ रुपए का बजट आबंटन था, जिसे सं0अनुमान 2008-09 में घटाकर 1022.97 करोड़ रुपए कर दिया गया है । अभी तक 603.00करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है ।

यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यक्रम वर्तमान में 17 राज्यों के 312 अभिज्ञात जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है । इनमें 14 राज्यों में एनएफएसएम-चावल वाले 136 जिले, 9 राज्यों में एनएफएसएम-गेंहू के अंतर्गत 141 जिले और 14 राज्यों में एनएफएसएम-दलहन के अंतर्गत 171 जिले शामिल हैं ।

कार्यक्रम जारी

28 56 **कृषि ऋण**

कुछ कमियों के होते हुए भी, कृषि ऋण की वृद्धि प्रभावशाली रही है और इसके लिए मैं अपने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को धन्यवाद देता हूँ । उनके बीच किसी एक वर्ष के दौरान संवितरित कृषि ऋण लगभग 75-79 प्रतिशत बैठता है। हम 2007-08 के लिए निर्धारित लक्ष्य को पार कर जाएंगे। मैं, 2008-09 के लिए 280,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य नियत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

(नोडल मंत्रालय/विभाग :
वित्तीय सेवा विभाग)

वर्ष 2008-09 में कृषि ऋण के लिए 280,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए क्रमशः 195,000 करोड़ रुपए, 55,000 करोड़ रुपए और 30,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य नियत किया गया है ।

कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह के संबंध में 30 नवम्बर, 2008 तक की स्थिति रिपोर्ट इस प्रकार हैः

राशि : करोड़ रुपए

	लक्ष्य	उपलब्धि
सहकारी बैंक	55,000	25,122.71
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	30,000	14,824.56
वाणिज्यिक बैंक	195,000	96,639.25
जोड़	**280,000**	**136,586.52**

मानिटरिंग जारी

29 59 **त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम**

सरकार त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम (एआईबीपी) और वर्षा पोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा जल संसाधनों के प्रबंधन और संवर्धन में भारी निवेश कर रही है। एआईबीपी के अंतर्गत, इस वित्त वर्ष में 24 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं तथा 753 छोटी सिंचाई योजनाएं पूरी कर ली जाएंगी इससे 500,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित हो सकेगी। 2007-08 के लिए 3,580 करोड़ रुपये के अनुदान घटक के साथ परिव्यय

त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के दौरान केन्द्रीय सहायता की अनुमानित आवश्यकता, वृहद् / मध्यम/ लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 10,200 करोड़ रुपए है । द्वितीय पूरक अनुदान मांगों के माध्यम से मुहैया करायी गई अतिरिक्त निधियों सहित, इस कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराया गया बजट परिव्यय इस वर्ष के लिए 6600 करोड़ रुपए है । 2008-09 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2008 तक 4,122.97 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की गई है।

कार्यक्रम जारी

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		11,000 करोड़ रुपये था। इन्हें 2008-09 में बढ़ाया जा रहा है और 5,550 करोड़ रुपये के अनुदान घटक के साथ अनुमानित परिव्यय 20,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : जल संसाधन मंत्रालय)	
30	60	**वर्षा पोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम** वर्षा पोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है और इसे 348 करोड़ रुपये के आवंटन से 2008-09 में क्रियान्वित किया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अभी तक जल संभरण विकास योजनाओं के लाभार्थी नहीं रहे हैं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : कृषि और सहकारिता विभाग)	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, राष्ट्रीय वर्षा पोषित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) के लिए 170 करोड़ रुपए के संघटक सहित, वर्षा पोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आरएडीपी) की केन्द्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन को, 3500 करोड़ रुपए की लागत पर 20 मार्च, 2008 को सिद्धांततः अनुमोदित किया गया है । 3330 करोड़ रुपए के संशोधित परिव्यय के आधार पर, इस योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है । आशा है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान, 30 लाख हेक्टेयर वर्षा पोषित क्षेत्र को शामिल कर लिया जाएगा । वर्ष 2008-09 के लिए, इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 348 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है । तथापि, यह देखते हुए कि इस योजना को आरंभ करने में विलम्ब हो सकता है, इसे संशोधित अनुमान की अवस्था पर घटाकर 5 करोड़ रुपए किया गया है। **कार्य जारी**
31	61	**सूक्ष्म सिंचाई** जनवरी 2006 में शुरू की गई सूक्ष्म सिंचाई संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत दो साल के भीतर 548,000 हेक्टेयर क्षेत्र को ड्रिप और फव्वारा सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है। मैं अतिरिक्त 400,000 हेक्टेयर को शामिल करने के लक्ष्य के साथ 2008-09 में इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ। (नोडल मंत्रालय/विभाग : कृषि और सहकारिता विभाग)	माइक्रो सिंचाई संबंधी केन्द्र प्रायोजित योजना, जनवरी, 2006 के दौरान आरंभ की गई थी । 2007-08 के दौरान, संशोधित अनुमान स्तर पर किए गए 450 करोड़ रुपए के कुल बजट आबंटन में से, वार्षिक कार्य योजना (2007-08) के आधार पर 11 राज्यों को 411.25 करोड़ रुपए जारी किए गए और 2006-07 के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू सी) प्राप्त हो गए हैं । वर्ष 2007-08 के दौरान, केन्द्रीय सब्सिडी के रूप में 493.75 करोड़ रुपए के व्यय से 16 राज्यों में माइक्रो सिंचाई स्कीम के कार्यान्वयन के फलस्वरूप, 2007-08 के दौरान 4.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है । वर्ष 2008-09 के दौरान, माइक्रो सिंचाई के अंतर्गत 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने के लक्ष्य को देखते हुए, 18 राज्यों में इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए संशोधित अनुमानों के आधार पर 430 करोड़ रुपए का आबंटन उपलब्ध है । आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान गुजरात, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ नामक 12 राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाएँ (2008-09)

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			अनुमोदित की गयी हैं और 2008-09 के दौरान, दिसम्बर, 2008 तक, प्रगति और प्राप्त किए गए उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के आधार पर 11 राज्यों के लिए 321.60 करोड़ रु0 जारी किए गए । **कार्यक्रम जारी**
32	62	**जल निकायों की मरम्मत, पुनरुद्धार और बहाली की परियोजना** जल निकायों की मरम्मत, पुनरुद्धार और बहाली की परियोजना के अंतर्गत, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों ने विश्व बैंक के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये तीन करार 738 मिलियन अमरीकी डालर की कुल राशि के हैं जो 900,000 हेक्टेयर कमान क्षेत्र को लाभ पहुंचाएंगे। मुझे विश्वास है कि विश्व बैंक और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व कुछ अन्य राज्यों की सरकारों के बीच शीघ्र ऐसे करार हस्ताक्षरित होंगे। (नोडल मंत्रालय/विभाग : जल संसाधन मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग)	जल निकायों के पुनरुद्धार एवं बहाली के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की सरकारों द्वारा विश्व बैंक के साथ किए गए करारों के अतिरिक्त, उड़ीसा समुदाय आधारित तालाब प्रबंध परियोजना पर 112 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता हेतु विश्व बैंक के साथ जुलाई, 2008 में चर्चा की गई है । इस समय, विश्व बैंक पश्चिम बंगाल परियोजना प्रस्ताव का मूंल्याकन कर रहा है । **उड़ीसा समुदाय तालाब प्रबंध परियोजनाः** विश्व बैंक ने 30 सितंबर, 2008 को 112 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण (आईबीआरडी ऋण-56 मिलियन अमरीकी डालर और आईडीए ऋण-56 मिलियन अमरीकी डालर) अनुमोदित किया है। इस परियोजना के लिए अपेक्षित कुल राशि 127.8 मिलियन अमरीकी डालर है। **पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई परियोजना का त्वरित विकास (एडीएमआई):** यह परियोजना वित्त वर्ष, 2009 में विश्व बैंक को सौंपने के लिए अनंतिम रूप से निर्धारित की गई । विश्व बैंक ने 29 अप्रैल, 2008 को परियोजना तैयारी अग्रिम के रूप में 2,940,000 अमरीकी डालर स्वीकृत किए है। इस परियोजना के लिए अपेक्षित कुल राशि 1143.00 करोड़ रुपए है। 11वीं योजना अवधि के दौरान, पूरे देश में इस कार्यक्रम/स्कीम का विस्तार करने का प्रस्ताव विभिन्न पणधारियों से परामर्श करके, तैयार किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए 2,750 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है । जल निकायों की मरम्मत, पुनरुद्धार और बहाली के लिए दो वैकल्पिक प्रस्ताव- एक विदेशी सहायता के लिए, और दूसरा देशीय सहायता के लिए विचाराधीन हैं । 1,500.00 करोड़ रुपए के केन्द्रीय हिस्से सहित विदेशी सहायता के लिए जल निकायों की मरम्मत, पुनरुद्धार और बहाली करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है । 1,250.00 करोड़ रुपए के केन्द्रीय हिस्से सहित देशीय सहायता के संबंध में जल निकायों की मरम्मत, पुनरुद्धार और बहाली के प्रस्ताव को भी अंतिम रूप दे दिया गया है और इस पर जाँच चल रही है। **कार्यक्रम जारी**

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
33	63	**सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम** जबकि ये चालू कार्यक्रम कृषि में निवेश का स्तर बढ़ाएंगे, और मैं सोचता हूँ कि हमें अपेक्षाकृत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना की जरूरत है। सरकार का मत है कि सिंचाई परियोजनाओं में भारी निवेश किए जाने की आवश्यकता है। हाल में, सरकार ने 14 परियोजनाएं अनुमोदित की है जो राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में कतिपय मानदंड पूरे करती हैं और ग्यारहवीं योजना की अवधि के दौरान उनमें से अकेली तीन परियोजनाओं के लिए 7,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इस चुनौती के महत्व को स्वीकार करते हुए, मैं केन्द्र सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपये के आरंभिक अंशदान से सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम (आईडब्ल्यूआरएफसी) के गठन का प्रस्ताव करता हूं। राज्य सरकारों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को इसकी इक्विटी में अंशदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हमारा अभिप्राय बहुत अधिक संसाधन जुटाने का है जिनकी आवश्यकता दीर्घकाल तक चलने वाली बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निधिपोषण के लिए होगी। मुझे आशा है कि मैं 31 मार्च 2008 से पहले इस निगम को एक कंपनी के रूप में निगमित कर सकूंगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : जल संसाधन मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग)	सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम (आईडब्ल्यूआरएफसी) वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में 29 मार्च, 2008 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत कंपनी के रूप में बनाया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
34	65	**मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना** ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान प्रति प्रयोगशाला 30 लाख रुपये की सरकारी सहायता से सरकारी और निजी क्षेत्र में 500 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, मैं, मार्च 2009 से पहले देश के 250 जिलों में एक पूर्णतया सज्जित चलती-फिरती मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की व्यवस्था करने के लिए कृषि मंत्रालय को 75 करोड़ रुपये के एकमुश्त आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ। (नोडल मंत्रालय/विभाग : कृषि और सहकारिता विभाग)	" राष्ट्रीय उर्वरक संतुलित प्रयोग परियोजना" नामक नवनिर्मित योजना, जिसका नाम बदलकर "राष्ट्रीय मृदा स्थिति और उर्वरता प्रबंध परियोजना" कर दिया गया है, को सरकार द्वारा जून, 2008 में अनुमोदित कर दिया गया है। इस योजना का प्रशासनिक अनुमोदन अगस्त, 2008 में जारी किया गया था और इसे कार्यान्वित करने के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना से संबंधित दिशा-निर्देश भी परिचालित किए गए हैं। 2008-09 के दौरान किया गया 19.98 करोड़ रुपए का मौजूदा संशोधित अनुमान बजट प्रावधान वर्ष के दौरान प्रयुक्त कर लिए जाने की आशा है। ***कार्रवाई पूर्ण***
35	66	**बागान फसलें** पुनःरोपण और नवीकरण के लिए पिछले वर्ष गठित विशेष प्रयोजन चाय निधि को 2008-09 में 40 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं इलायची (10.68	i) **चाय :** चाय के बागान पुनः लगाने और नवीकरण के लिए विशेष प्रयोजन चाय निधि हेतु टी बोर्ड को अपेक्षित निधि मुहैया करायी गई है। चाय पादप पुनः रोपने एवं नवीकरण के लिए विशेष प्रयोजन

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		करोड़ रुपये), रबड़ (19.41 करोड़ रुपये) और कॉफी (18 करोड़ रुपये) जैसी अन्य बागानी फसलों को ऐसी ही सहायता देने के लिए निधियों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं। चाय,रबड़, तंबाकू, मिर्च, अदरक, हल्दी, काली मिर्च और इलायची के लिए फसल बीमा योजना अगले साल शुरू की जाएगी। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वाणिज्य विभाग)	चाय निधि के अंतर्गत 40 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। वर्ष, 2008-09 के दौरान, 8400 हेक्टेयर क्षेत्र में पुनःरोपण/ नवीकरण करने का प्रस्ताव है। ii) **इलायचीः** इलायची (बड़ी और छोटी दोनों) पुनः पादप रोपण/ नवीकरण योजना को 122.23 करोड़ रुपए के परिव्यय पर 11वीं योजना अवधि में कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। चूंकि इस परियोजना को हाल ही में अनुमोदित किया गया है, इसलिए 11 वीं योजना अवधि में कोई परिव्यय नहीं किया जा सका। 2007-08 के दौरान स्पाइसेज बोर्ड को 3 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। स्पाइसेज बोर्ड, वर्ष 2008-09 के दौरान छोटी और बड़ी इलायची के पुनः पादप रोपण/नवीकरण की योजना को अपने 50 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान में रहकर कार्यान्वित कर रहा है। iii) **कॉफीः** सरकार ने 11वीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए 310 करोड़ रुपए के परिव्यय से " कॉफी विकास सहायता" नामक स्कीम अनुमोदित की है, जिसमें से 100 करोड़ रुपए कॉफी के पुनः पादप रोपण कार्यक्रम के लिए खर्च किए जाएंगे। वर्ष 2008-09 के दौरान कॉफी बोर्ड की " विकास सहायता " योजना के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें पुनः पादप रोपण कार्यक्रम के लिए 18 करोड़ रुपए शामिल हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान, 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पुनः पौध रोपण का प्रस्ताव है। iv) **रबड़ः** सरकार ने 413.44 करोड़ रुपए के परिव्यय से " रबड़ पौध रोपण विकास स्कीम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में रबड़ विकास योजना" भी अनुमोदित की हैं जिससे कि 11वीं योजना अवधि के दौरान रबड़ का पुनःपादप रोपण/नया पादप रोपण किया जा सके। वर्ष 2008-09 के दौरान, रबड़ बोर्ड की "रबड़ पौध रोपण विकास स्कीम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में रबड़ विकास स्कीम" के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से पुनः पौध रोपण संबंधी कार्य-कलापों के लिए 19.41 करोड़ रूपए का प्रावधान है। v) **फसल बीमा योजना :** चाय, रबड़, तम्बाकू, मिर्च, अदरक, हल्दी, काली मिर्च और इलायची के लिए यह योजना सरकार के विचाराधीन है और इसके अनुमोदन के बाद यह कार्यान्वित की जाएगी। इस मामले पर मंत्रियों का समूह विचार कर रहा है। यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा इस स्कीम के प्रीमियम पर होने वाले खर्च को बांटने के मुद्दे पर शीघ्र ही राज्य सरकारों के साथ चर्चा की जाएगी। *कार्रवाई जारी*
36	67	**विकास अध्ययन,केन्द्र तिरुवानन्तपुरम और चाय अनुसंधान एसोसिएशन को एकबारगी अनुदानः** बागान क्षेत्र से सम्बद्ध मामलों पर अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए, मैं विकास अध्ययन केन्द्र, तिरूवानन्तपुरम को एक बारगी 5 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। चाय	नोडल एजेन्सी मसाला बोर्ड को आगे विकास अध्ययन केन्द्र, तिरुवानन्तपुरम को देने के लिए, 5.00 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया गया है। चाय अनुसंधान एसोसिएशन (टीआरए) को 20 करोड़ रुपए के

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		अनुसंधान एसोसिएशन का जोरहाट स्थित टोक्लाई एक्सपेरीमेंटल स्टेशन वर्ष 2010 में अपनी शताब्दी मनाएगा। यह अपनी सुविधाओं के उन्नयन की प्रक्रिया में है और अपनी गतिविधियों का विस्तार अन्य पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तरी बंगाल और दार्जीलिंग में कर रहा है। मैं चाय अनुसंधान एसोसिएशन को 20 करोड़ रुपए का विशेष शताब्दी अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वाणिज्य विभाग)	विशेष शताब्दी अनुदान के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है और टीआरए को निधियां उपलब्ध कराने हेतु टी बोर्ड को 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति 2.1.2009 को जारी कर दी गई है। ***कार्रवाई पूर्ण***
37	68	**स्वायत्त राष्ट्रीय स्वस्थ पादप प्रबंध संस्थान:** हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पादप संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान को 29.4 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से एक स्वायत्त राष्ट्रीय स्वस्थ पादप प्रबंधन संस्थान में बदला जाएगा और उन्नयन किया जाएगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : कृषि एवं सहकारिता विभाग)	देश की जैव सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए, राष्ट्रीय पादप संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान (एनपीपीटीआई) को एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है तथा उसका नाम बदल कर राष्ट्रीय स्वस्थ पादप प्रबंध संस्थान रखा गया है। बजट व्यवस्था का उपयोग किया जाएगा। ***कार्रवाई पूर्ण***
38	70	**मौसम आधारित फसल बीमा योजना:** इसके अतिरिक्त, मौसम आधारित फसल बीमा योजना 5 राज्यों के चुनिंदा क्षेत्रों में एक प्रायोगिक योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। मेरा इरादा 2008-09 में इस प्रयोजनार्थ 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का है। (नोडल मंत्रालय/विभाग : कृषि एवं सहकारिता विभाग)	खरीफ, 2008 सीजन के दौरान मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यबीसीआईएस) को 10 राज्यों द्वारा क्रियान्वित किया गया है। 20 राज्यों में यह योजना क्रियान्वित करने के लिए रबी 2008-09 के मौसम में प्रशासनिक अनुदेश जारी किए गए हैं। दिसम्बर, 2008 की समाप्ति तक, सात राज्यों (बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, केरल तमिलनाडु तथा छत्तीसगढ़) ने इस योजना को अधिसूचित कर दिया है। शेष राज्यों में क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी करने पर विचार चल रहा है। ***कार्रवाई जारी***
39	71	**उर्वरकों के लिए वित्तीय सहायता हेतु वैकल्पिक विधियां :** सरकार किसानों को सब्सिडीयुक्त कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराती रहेगी। सरकार पोषाहार आधारित सब्सिडी व्यवस्था और सब्सिडी देने के वैकल्पिक तरीके अपनाने के प्रस्तावों की जांच कर रही है। (नोडल मंत्रालय/विभाग : उर्वरक विभाग)	उर्वरक विभाग ने दिनांक 13.5.2008 के पत्र के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराते रहने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की थी। यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि उर्वरकों के लगातार इस्तेमाल तथा उचित आर्थिक सहायता एवं कीमतों के मुद्दों पर विचार करने के लिए गठित मंत्रियों के दल की सिफारिश के अनुसरण में, एक पोषाहार आधारित कीमत निर्धारण योजना को अंतिम रूप दिया गया है। तदनंतर, 12 जून, 2008 को इसे अनुमोदित कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, सम्मिश्र उर्वरकों की कीमतों को औसतन 19% कम कर दिया गया है।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			इससे आर्थिक सहायता व्यय में वृद्धि हुई है। जहाँ तक पोषाहार आधारित आर्थिक सहायता व्यवस्था का संबंध है, आर्थिक सहायता के अवहनीय स्तरों के परिप्रेक्ष्य में, यह प्रस्ताव किया गया है कि लक्षित जनसंख्या के लिए सफलतापूर्वक शुरू किए गए सरकारी अनुदानों के प्रदाय के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न वैकल्पिक प्रदाय प्रक्रमों पर पुनर्विचार किया जाए। चूंकि इसमें विभिन्न परिदाय प्रक्रमों की व्यापक समीक्षा की जानी शामिल है, इसके क्रियान्वयन हेतु निश्चित समय निर्दिष्ट करना मुश्किल होगा। उर्वरक विभाग वर्तमान वित्त वर्ष में ही वैकल्पिक कार्यनीतियाँ बनाना चाहता है ताकि कम से कम अगले वित्त वर्ष में क्रियान्वयन संबंधी निर्णय लिए जा सकें। ***कार्रवाई जारी***
40	72	**सहकारी ऋण संरचना** अल्पावाधिक सहकारी ऋण ढांचे के पुनरूज्जीवन संबंधी प्रोफेसर वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट 17 राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। अब तक, केन्द्र सरकार द्वारा चार राज्यों को 1,185 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें दीर्घावधिक सहकारी ऋण ढांचे के पुनरूज्जीवन संबंधी प्रोफेसर वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट को क्रियान्वित करने के पैकेज की सहमति संबंधी एक समझौते पर पहुंच गए हैं। इस पैकेज की लागत 3,074 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा कुल भार का 2,642 करोड़ रुपये अथवा 86 प्रतिशत होगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	आज की तिथि के अनुसार, 25 राज्यों ने अल्पावधिक सहकारी ऋण संरचना के लिए पुनरूद्धार पैकेज के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार और नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नाबार्ड को 4,970.37 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। दीर्घावधि-सहकारी ऋण संरचना के पुनरूद्धार हेतु पैकेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ***मानीटरिंग जारी***
41	73	**ऋण माफी और ऋण राहत** महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे योजनाएं और उपाय जो मैंने ऊपर सूचीबद्ध किए हैं, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। एक प्रश्न अभी भी प्रासंगिक है कि हमें किसानों की ऋण- ग्रस्तता के बारे में क्या करना चाहिए। माननीय सदस्यों को याद होगा कि सरकार ने कृषि ऋणग्रस्तता के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए डा. आर. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यह सार्वजनिक की जा चुकी है। संबंधी समिति ने अनेक सिफारिशें की थीं परन्तु कृषि ऋणों की माफी की सिफारिश नहीं की। लेकिन सरकार को इस समस्या की भयावहता की जानकारी है और वह किसान समुदाय विशेषतया छोटे और सीमांत किसानों की मुश्किलों	किसानों के लिए कृषि ऋण माफी योजना तथा ऋण राहत योजना 2008 को इसकी निर्धारित तिथि 30.6.2008 तक क्रियान्वित कर दिया गया है। कुल ऋण माफी/ऋण राहत की राशि 65,318.33 करोड़ रुपए हुई जो 36,877,818 किसानों (अनंतिम आँकड़े) को प्रदान की गई है। कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008 के अंतर्गत उधारकर्ता संस्थाओं के प्रतिपूर्ति योग्य दावों की 25,000 करोड़ रुपए की प्रथम किस्त भारतीय रिजर्व बैंक को जारी कर दी गई है। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		के प्रति सचेत है। ऋण माफी के पक्ष और विपक्ष में ध्यानपूर्वक विचार और संसाधन स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैं किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत की एक योजना इस सदन के समक्ष रख रहा हूं: (i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा 31 मार्च, 2007 तक संवितरित और 31 दिसंबर, 2007 को अतिदेय सभी कृषिऋणों के इस योजना के अन्तर्गत लाया जाएगा। (ii) सीमांत किसानों (1 हेक्टेयर तक जोत वाले) और छोटे किसानों (1-2 हेक्टेयर) के लिए उन सभी ऋणों की पूर्ण माफी होगी जो 31 दिसंबर, 2007 को अतिदेय हो गए थे और जो 29 फरवरी, 2008 तक अदत्त रहे। अन्य किसानों के संबंध में सभी ऋणों के लिए एक बारगी निपटान योजना होगी जो 31 दिसंबर, 2007 को अतिदेय हो गए और जो 29 फरवरी, 2008 तक अदत्त रहे। एक बारगी निपटान के अंतर्गत 75 प्रतिशत शेष के भुगतान के एवज में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। (iii) बैंकों द्वारा विशेष पैकेजों के माध्यम से 2004 और 2006 में कृषि ऋण पुनर्संरचित और पुनर्निर्धारित किए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार सामान्य प्रक्रिया में ये पुनर्संरचित ऋण और अन्य पुनर्संरचित ऋण भी या तो माफी के अथवा इसी पद्धति पर एक बारगी निपटान के पात्र होंगे। (iv) ऋण माफी और ऋण राहत योजनाएं 30 जून, 2008 तक पूरी कर ली जाएंगी। ऋण माफी दिए जाने अथवा एक बारगी निपटान के अंतर्गत ऋण राहत के समझौते पर हस्ताक्षर होने पर, किसान सामान्य नियमों के अनुसार बैंकों से नए कृषि ऋण लेने के हकदार होंगे। (v) सरकार का अनुमान है कि लगभग 3 करोड़ रुपए छोटे और सीमांत किसानों तथा लगभग 1 करोड़ अन्य किसानों को इस योजना से लाभ प्राप्त होगा। माफ किए जा रहे अतिदेय ऋणों का कुल मूल्य 50,000 करोड़ रुपये अनुमानित है और एकबारगी निपटान में 10,000 करोड़ रुपये के अतिदेय ऋणों को राहत मिलने का अनुमान है। मैं माननीय सदस्यों के साथ-साथ भारत की जनता से अपील करता हूं कि वे इस योजना को अपना पूर्ण	

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		समर्थन दें तथा इस महत्वपूर्ण निर्णय को कार्यान्वित करने में सरकार को सहयोग दें। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	
42	76	**ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि** ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) ग्रामीण अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए बैंक निधियों को सरणीकृत करने का मुख्य साधन है और यह राज्य सरकारों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। इसलिए मैं, 2008-09 में इस विकास निधि की संग्रह निधि बढ़ाकर 14,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं, 4,000 करोड़ रुपये की निधि से आरआईडीएफ - xiv के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए अलग विंडो संचालित करने का भी प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग ग्रामीण विकास विभाग)	नाबार्ड ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि- XIV के तहत राज्यों के लिए 14,000 करोड़ रुपए की राशि के नियामक आबंटनों के मुकाबले 11,590.65 करोड़ मूल्य की योजनाएँ स्वीकृत की हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को उक्त राशि आबंटित कर दी है। इसके अतिरिक्त, भारत निर्माण के ग्रामीण सड़क संघटक के लिए स्वीकृत 4000 करोड़ रुपए की राशि में से नाबार्ड द्वारा एनआरआरडीए को 1,315.40 करोड़ रुपए की राशि संवितरित कर दी गई है। ***कार्रवाई पूर्ण***
43	78	**अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य** अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए ग्यारहवीं योजना का लक्ष्य 78,577 मेगावाट क्षमता है। यह पिछली तीन योजनाओं में जुड़ी कुल क्षमता से अधिक है। मार्च 2008 के अंत तक, हम किसी योजना अवधि में पहला सबसे अच्छा साल चिन्हित करते हुए लगभग 10,000 मेगावाट की वाणिज्यिक प्रचालन तारीख का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। सरकार यह सुनिश्चत करने के लिए दोहरे प्रयास करेगी कि ग्यारहवीं योजना का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए।	i) परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के अनुसार, ग्यारहवीं योजना में 79,790 मेगावाट क्षमता के फलीभूत होने की संभावना है। इसमें से 33,530 मेगावाट केन्द्रीय क्षेत्र में, 25,363 मेगावाट राज्य क्षेत्र में तथा 21,097 मेगावाट निजी क्षेत्र में है। इसमें से, 11,822 मेगावाट क्षमता को पहले ही 31.12.2008 तक चालू किया जा चुका है। 68,168 मेगावाट क्षमता निर्माणाधीन है। शेष क्षमता के लिए आदेश दिया जा रहा है। ग्यारहवीं योजना की परियोजनाओं के संबंध में, जिन्हें या तो चालू किया जा चुका है या जो निर्माणाधीन हैं, संभावित रूप से चालू करने की वर्षवार अनुसूची निम्नानुसार है:-

क्षमता(मेगावाट)/ वर्ष	केन्द्रीय सेक्टर	राज्य सेक्टर	निजी सेक्टर	जोड़
2007-08 (वास्तविक)	3,240	5,273	750	9,263
2008-09 (2,559 मेगावाट की क्षमता को 31.12.2008 तक चालू किया जा चुका है)	2,410	2,359	2,761	7,530
2009-10	6,362	4,858	4,231	15,451
2010-11	9,076	6,592	3,145	18,813
2011-12	12,442	6,281	10,210	28,933
जोड़	**33,530**	**25,363**	**21,097**	**79,990**

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			ii) वर्ष 2007-08 के दौरान, 12,001 मेगावाट क्षमता के लक्ष्य की तुलना में, 7,294 मेगावाट की क्षमता का वाणिज्यिक प्रचालन तारीख का लक्ष्य हासिल कर लिया गया था। वर्ष 2008-09 के दौरान 13,325 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में 31.12.2008 तक 5,893 मेगावाट की क्षमता के वाणिज्यिक प्रचालन तारीख के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। ***कार्रवाई जारी***
44	79	**पांच और अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना:** चौथी अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना (यूएमपीपी), तिलैया का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु में बोली अवस्था के लिए पांच और यूएमपीपी लाने की संभावना है, बशर्ते कि राज्य अपेक्षित सहायता प्रदान करें। मैं उनसे ऐसा करने का आग्रह करता हूँ। (नोडल मंत्रालय/विभाग : विद्युत मंत्रालय)	तिलैय्या अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना के संबंध में, प्रस्ताव हेतु अनुरोध 30.5.2008 को जारी किया गया था। बोलियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 29 दिसम्बर, 2008 है तथा पांच बोलीदाताओं ने उत्तर दिया है। वित्तीय बोलियाँ 28 जनवरी, 2009 को खोली जानी निर्धारित की गईं हैं। महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा तमिनाडु राज्य सरकारों ने क्रमशः मूंगे, बेडाबहल तथा चियूर स्थित स्थलों की पुष्टि कर दी है। ***कार्रवाई जारी***
45	80	***राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की प्रगति:** सरकार ने 28,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जारी रखने का अनुमोदन कर दिया है। मैं योजना के लिए 2008-09 में 5,500 करोड़ रुपए (एनईआर सहित) आबंटित करने का प्रस्ताव रखता हूँ। (नोडल मंत्रालय/विभाग : विद्युत मंत्रालय)	(क) 31.12.08 की स्थिति के अनुसार, अब तक बिना विद्युत वाले कुल 54,317 गांवों को बिजली पहुंचायी जा चुकी है। 70,144 विद्युतीकृत गांवों के लिए गहन विद्युतीकरण किया गया है और 51,42,322 ग्रामीण परिवारों (जिनमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 43,00,834 परिवार शामिल हैं) को कनेक्शन दिए गए हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान बिना बिजली वाले गांवों में विद्युतीकरण के संबंध में 31.12.2008 तक उपलब्धि 6,491 रही, पहले ही विद्युतीकृत गांवों में गहन विद्युतीकरण की उपलब्धि 29,015 रही और 24,17,323 ग्रामीण परिवारों को कनेक्शन दिए गए (जिनमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 20,07,064 परिवार शामिल हैं)। (ख) 14 राज्यों के 88,269 गांवों में फ्रैन्चाइजी योजना शुरू की गई है। (ग) दसवीं योजना अवधि के दौरान 235 परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया गया और ग्यारहवीं योजना अवधि के चरण- I के दौरान, कार्यान्वयन के लिए अब तक 323 नई परियोजनाओं का मंजूरी दी जा चुकी है। ***कार्रवाई जारी***
46	81	**त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार परियोजना :** मैं त्वरित विद्युत विकास और सुधार परियोजना के लिए 2008-09 में 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखता हूँ, तथापि, पारेषण और वितरण खस्ता हाल में है, जो इस सेक्टर के लिए बाधक है। पारेषण और वितरण में भारी निवेश करने की आवश्यकता है परन्तु यह मूलभूत सुधारों से सम्बद्ध होना चाहिए। अतः मैं पारेषण और	सरकार ने पुनः तैयार किए गए त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम 31.7.2008 को अनुमोदित किया है। इस योजना के लिए मौजूदा वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान एक करोड़ रुपए का सांकेतिक प्रावधान किया गया है। पुनः तैयार किए गए त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम के लिए स्वीकृति 19.9.2008 को जारी की गई है। इसके कार्यान्वयन के लिए एक संचालन समिति भी गठित की गई है। विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) को यह

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		वितरण सुधार के लिए राष्ट्रीय निधि का सृजन करने का प्रस्ताव रखता हूँ योजना का ब्यौरा जल्द ही तैयार किया जाएगा और इसकी घोषणा कर दी जाएगी। (नोडल मंत्रालय/विभाग : विद्युत मंत्रालय योजना आयोग)	कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। विद्युत वित्त निगम ने मैसर्स केपीएमजी को 'प्रक्रिया परामर्शदाता' के रूप में नियुक्त किया है और 11वीं योजना के दौरान इसके कार्यान्वयन के लिए 'आईटी परामर्शदाताओं को पैनल में शामिल करने' पर कार्रवाई शुरू कर दी है। विद्युत मंत्रालय, पीएफसी, राज्य सरकार और राज्य जनोपयोगिता के बीच एक 'चतुष्पक्षीय समझौता' कार्यान्वयन तथा पुनः तैयार किए गए त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम के अधीन 'निधियां जारी करने की शर्तों " का प्रारूप तैयार किया गया है। इन्हें वित्त मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है। पुनर्संरचित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम संबंधी दिशा-निर्देश 22.12.2008 को जारी किए गए हैं। **राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) :** राष्ट्रीय विद्युत निधि की स्थापना संबंधी विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए, योजना आयोग द्वारा सदस्य (विद्युत) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। यह निर्णय लिया गया कि सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में एक उपसमिति बनाई जाए जिससे कि राष्ट्रीय विद्युत निधि को क्रियाशील करने संबंधी मुद्दों पर सुझाव दिए जा सकें। यह मामला फिलहाल विचाराधीन है। ***कार्रवाई जारी***
47	82	**राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम की प्रगति :** राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के सभी चरणों में प्रगति जारी है। स्वर्णिम चतुर्भुज के पूरा होने की दर 96.48 प्रतिशत और उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम मार्ग परियोजना की दर 23.36 प्रतिशत है। एसएआरडीपी-एनई, कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है। इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 2007-08 में 180 कि.मी. सड़क पूरी की गई है और 2008-09 के लिए 300 कि.मी. सड़क निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मैं एनएचडीपी के लिए आवंटन, 2007-08 में किए गए 10,867 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अगले वर्ष के लिए 12,966 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। (नोडल मंत्रालय/विभाग : सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के सभी चरणों पर कार्य चल रहा है। स्वर्णिम चतुर्भुज के पूरा होने की दर 97.57 प्रतिशत (5,846 किमी में से 5,704 किमी) है तथा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम मार्ग परियोजना में यह दर 43.16 प्रतिशत (7,142 किमी में से 3,083 किमी) है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए 2007-08 में किए गए 10,867 करोड़ रुपए के आबंटन को बढ़ाकर अगले वर्ष 12,966 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। 9,713 किमी को शामिल करने वाले द्विचरणीय उत्तर-पूर्वी क्षेत्र हेतु विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है। चरण "क" के अंतर्गत 2,569 किमी आते हैं, जिसमें से 1,415 किमी को कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है और शेष 1,154 किमी के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त किया गया है। 4,825 किमी वाले चरण "ख" को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए अनुमोदित किया गया है। 2,319 किमी लम्बे सड़क और राजमार्ग बनाने हेतु अरूणाचल प्रदेश पैकेज को एसएआरडीपी-एनई के भाग के रूप में सरकार द्वारा 9.1.2009 को कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। एसएआरडीपी - एनई के तहत 977 किमी लंबाई के लिए 2,789 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि अब तक अनुमोदित की गई है। 2008-09 के दौरान 330 किमी लंबी सड़क पूरी कर लिए जाने की संभावना है। दिसम्बर, 2008 तक, 372 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। ***कार्रवाई जारी***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
48	83	***तेल और गैस*** नई खोज लाइसेंसिंग नीति के तहत बोली का 7वां दौर दिसम्बर 2007 में प्रारंभ किया गया और 57 अन्वेषण ब्लॉकों के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। यह अनुमान है कि अन्वेषण और खोज के लिए यह दौर 3.5 बिलियन अमरीकी डालर से 8 बिलियन अमरीकी डालर तक का निवेश आकर्षित करेगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय)	सरकार ने 1.129 लाख वर्ग किमी के क्षेत्र को शामिल करते हुए नई खोज लाइसेंसिंग नीति (नेल्प - VII) के सातवें दौर के तहत, तेल एवं गैस प्रखंडों की खोज के लिए विभिन्न कंपनियों/संघों के साथ 22.12.2008 को 41 उत्पादन साझेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। चयनित प्रखंडों की खोज के चरण-I के लिए कुल निवेश वचनबद्धता लगभग 1.5 बिलियन अमरीकी डालर की है। आशा है कि नेल्प VII के तहत प्रखंडों का चयन और अधिक अन्वेषणों, तेल क्षेत्रों के विकास में और अधिक निवेश में परिणामी होगा जो उच्चतर भंडार अभिवृद्धि और अंततः तेल और गैस के उत्पादन में परिणामित होगा। ***कार्रवाई पूर्ण***
49	84	**कोयला विनियामक की नियुक्ति** सरकारी और निजी क्षेत्र की कम्पनियों को 13,842 मिलियन टन आरक्षित भण्डार वाले 53 कोयला ब्लॉक अप्रैल-जनवरी 2007-08 के दौरान आबंटित किए गए हैं। अक्तूबर 2007 में एक नई कोयला वितरण नीति अधिसूचित की गई थी। एक कोयला विनियामक नियुक्त किया जाएगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : कोयला मंत्रालय)	कोयला विनियामक प्राधिकरण की स्थापना के लिए दूसरे मंत्रालयों के साथ परामर्श करके मसौदा मंत्रिमंडल टिप्पणी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ***कार्रवाई जारी***
50	86	**एसआईटीपी तथा टीयूएफ की दो वस्त्र योजनाओं को जारी रखना** कपड़ा मंत्रालय की दो मुख्य योजनाएं- समेकित वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) और प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (टीयूएफ) - ग्यारहवीं योजना अवधि में जारी रहेंगी। सभी 30 समेकित वस्त्र पार्कों का अनुमोदन किया गया है और चार पार्कों के 20 एककों ने उत्पादन शुरु कर दिया है। मैं, 2008-09 में एसआईटीपी के लिए 450 करोड़ रुपए के प्रावधान को जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ। टीयूएफ के प्रावधान को वर्तमान वर्ष में किए गए 911 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2008-09 में 1,090 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : कपड़ा मंत्रालय)	**समेकित वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी):** अनुमोदित लक्ष्य के अनुसार, 40 समेकित वस्त्र पार्कों के विकास के लिए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं की अनुमानित परियोजना लागत 4,203.15 करोड़ रुपए है, जिसमें से भारत सरकार की सहायता 1,438.03 करोड़ रुपए होगी। इन परियोजनाओं के लिए अब तक, 443.26 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की जा चुकी है। इन परियोजनाओं में कुल 21,475.59 करोड़ रुपए का निवेश होने का अनुमान है तथा अनुमानित संयुक्त कारबार 38,145 करोड़ रुपए है। यह पहल 9.10 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) को सुकर बनाएगी। एसआईटीपी के तहत स्वीकृत पल्लाडैम हाई टैक वीविंग पार्क, पल्ला डैम, तमिलनाडु का उद्घाटन 19.04.2008 को किया गया। आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली स्थित पोचमपल्ली हैंडलूम पार्क का उद्घाटन 16.11.2008 को किया गया। ब्रैंडिक्स इंडिया एपेरल सिटी, विशाखापट्टनम तथा कोमारपल्लयम हाई- टैक वीविंग पार्क, तमिलनाडु अब उद्घाटन के लिए तैयार है।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			इसके अतिरिक्त, 3-5 और परियोजनाओं के मार्च, 2009 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। प्रत्येक परियोजना के क्रियान्वयन की प्रगति तथा हरेक परियोजना के लिए नियत मानकों की नियमित आधार पर मानीटरी की जा रही है। परियोजना विशिष्ट एसपीवी का सतत सुग्राहीकरण किया जाना है ताकि समय अनुसूची का कड़ाई से पालन किया जाए। **प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (टीयूएफएस)** 1,090 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र को 50 करोड़ रुपए के सिवाय) के कुल आबंटन में से, आज तक 1,060.52 करोड़ रुपए की राशि 14 नोडल बैंकों तथा वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुम्बई को जारी की गई है। चूंकि प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि के तहत आवश्यकता को पूरा करने के लिए बजट आबंटन पर्याप्त नहीं था, 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था संशोधित अनुमान में की गई है। सरकार ने 1400 करोड़ रुपए के और आबंटन की घोषणा की है। ***कार्यक्रम जारी***
51	87	**हथकरघा सैक्टर** हथकरघा सेक्टर के विकास के लिए सामूहिक दृष्टिकोण में त्वरित प्रगति हुई है। 250 समूहों का विकास किया जा रहा है। 443 यार्न बैंक स्थापित किए गए हैं। मार्च 2008 तक, 17 लाख से अधिक बुनकर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत शामिल किया जाएगा। मैं, इसके लिए आवंटन बढ़ाकर 2008-09 में 340 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। (नोडल मंत्रालय/विभाग : कपड़ा मंत्रालय)	एकीकृत हस्तकरघा विकास योजना (आईएचडीएस) एक सतत् योजना है, जिसे 26.11.2007 को मंजूर किया गया था। वर्ष 2007-2008 के दौरान, योजना के तहत 251 समूह विकास परियोजनाएँ स्वीकृत की गईं और विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के बुनकर सेवा केन्द्रों को प्रथम किस्त के रूप में 35.78 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। 2008-09 के दौरान, 30.11.2008 तक 107 समूहों को मंजूरी दी गई है और 16.23 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। 30.06.2008 तक 485 यार्न डिपो ने काम करना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य बीमा योजना के संघटकों सहित हस्तकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना तथा महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना 1.10.2007 को मंजूर की गई। 2008-09 के दौरान अक्टूबर, 2008 तक बुनकरों के 18 लाख परिवारों को 2008-09 के दौरान स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल किए जाने की संभावना है। वर्ष 2007-08 के दौरान 4.10 लाख नए बुनकरों को 2008-09 के दौरान शामिल करने के लिए 73.20 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। अप्रैल-अक्टूबर, 2008 के दौरान, स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 3.80 लाख नए बुनकरों का नामांकन किया जा चुका है। वर्ष 2008.09 के दौरान, हस्तकरघा क्षेत्र के लिए 340.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। ***कार्यक्रम जारी***
52	88	**बड़े समूहों के रूप में छः केन्द्रों का विकास:** अवसंरचना और उत्पादन दोनों में वृद्धि करने के लिए, बड़े समूहों के रूप में छह केन्द्रों को विकसित	**'व्यापक वस्त्र समूह विकास योजना'**, निम्नलिखित बड़े समूहों के विकास के लिए सरकार द्वारा 20.11.08 को अनुमोदित कर दिया गया है :

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		करने का प्रस्ताव है। वाराणसी और सिबसागर में हथकरघा, भिवंडी और इरोड में पावरलूम और नरसापुर एवं मुरादाबाद में हस्तशिल्प का विकास कार्य शुरू किया जाएगा। प्रत्येक मेगा समूह के लिए लगभग 70 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता होगी। मैं, 2008-09 में, 100 करोड़ रुपए के आरंभिक प्रावधान से यह प्रक्रिया शुरु करने का प्रस्ताव करता हूँ। (नोडल मंत्रालय/विभाग : कपड़ मंत्रालय)	i) एरोड और भिवंडी समूहों के लिए व्यापक पावरलूम समूह विकास योजना। ii) वाराणसी और सिबसागर समूहों के लिए व्यापक हस्तकरघा समूह विकास योजना। iii) मुरादाबाद और नरसापुर समूहों के लिए व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना। तद्नुसार, छह बड़े समूहों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया आरंभ की गई है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कार्य उक्त समूहों के लिए समूह प्रबंधन तकनीकी एजेंसी (सीएमटीए) के चयन से संबंधित है, जो परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी। पांच बड़े समूहों अर्थात् हस्तकरघा के लिए वाराणसी और सिबसागर, हस्तशिल्प के लिए मुरादाबाद और पावरलूम के लिए भिवंडी एवं एरोड, के लिए सीएमटीए का चयन कार्य पूरा हो गया है। नरसापुर (हस्तशिल्प) के संबंध में सीएमटीए के चयन के लिए प्रक्रिया पूरी होने की अग्रिम अवस्था में है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट; नैदानिक अध्ययन ; भूमि अधिग्रहण संबंधी दस्तावेज और एस पी वी तैयार करने संबंधी कागजात शीघ्रता से पूरा करने के लिए चयनित सीएमटीए से अनुरोध किया गया है। संबंधित राज्य सरकारों को भी परियोजना अनुमोदन और निगरानी समिति (पी ए एम सी) में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी को नामांकित करने का अनुरोध किया गया है। मै0 टेकनोपैक एडवाइजर्स प्रा0 लि0, गुड़गांव (हरियाणा) और मै0 सी एस आर्कीटेक्ट प्रा0 लि0, एरोड (तमिलनाडु) को क्रमशः वाराणसी(उत्तर प्रदेश) और सिबसागर (असम) के लिए सीएमटीए के रूप में नियुक्त किया गया है/चुना गया है। वाराणसी मेगा समूह के लिए नैदानिक अध्ययन करने हेतु मै0 टेकनोपैक एडवाइजर्स प्रा0 लि0 को पहली किस्त के रूप में 7.87 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। ***कार्रवाई जारी***
53	89	**भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक (सिडबी) में जोखिम पूंजी निधि का सृजन** माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों को सरकार से सहायता मिलती रहेगी। मैं, इस सेक्टर के बारे में कुछ गलत धारणाओं को दूर करना चाहता हूँ। 2006-07 को समाप्त चार वर्षों जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं, में पंजीकृत यूनिटों की संख्या, अपंजीकृत यूनिटों की संख्या, उत्पादन, रोजगार और निर्यातों में लगातार वृद्धि हुई है। इस सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक (सिडबी) में जोखिम पूंजी निधि के सृजन करने का प्रस्ताव करता हूँ। 31 जनवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार, सिडबी के साथ ऋण गारंटी न्यास ने 2,479 करोड़ रुपए की राशि के लिए	माइक्रो और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि न्यास ने माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए एकबारगी गारंटी शुल्क घटाकर 1% तथा बैंकों/सदस्य उधारकर्ता संस्थाओं द्वारा स्वीकृत 5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वार्षिक सेवा शुल्क घटाकर 0.5% कर दिया है। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		89,129 यूनिटों को गारंटी प्रदान की थी। सिडबी गारंटी शुल्क 1.5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करेगा और 5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वार्षिक सेवा शुल्क 0.75 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत करेगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग) माइक्रो, मध्यम और लघु उद्यम मंत्रालय)	
54	92	**वित्तीय समावेशन समिति की सिफारिशें** वित्तीय समावेशन संबंधी समिति की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। आरंभ में, मैं ये दो सिफारिशें स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूँ: ■ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी प्रत्येक ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखा में प्रति वर्ष कम से कम 250 ग्रामीण परिवारों का खाता खोलने का सुझाव देना; और ■ व्यष्टियों यथा सेवानिवृत बैंक अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों आदि को व्यवसाय सुविधाकारक या व्यापार-सह-सम्बन्धी अथवा ऋण सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देना। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	आईबीए तथा नाबार्ड ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सलाह दी है कि वे अपनी प्रत्येक ग्रामीण तथा अर्ध शहरी शाखाओं में प्रत्येक वर्ष 250 ग्रामीण परिवारों के खाते खोलने का लक्ष्य हासिल करें। अधिकांश सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी शाखाओं में 250 खाते खोलने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। व्यष्टियों अर्थात सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों इत्यादि को व्यवसाय सह-संबंधी के रूप में नियुक्त करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता के विचार जानने हेतु 03.04.2008 को अपनी वेबसाइट पर 'वित्तीय साक्षरता तथा ऋण परामर्श केन्द्र' संबंधी संकल्पना दस्तावेज भी डाला है। ***मानीटरिंग जारी***
55	93	**बैंकों को समग्र वित्तीय समावेशन की अवधारणा अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना** बैंकों को समग्र वित्तीय समावेशन की अवधारणा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से कुछ सरकारी क्षेत्र बैंकों के नक्शे कदम पर चलने और स्व-सहायता समूह के सदस्यों की सभी ऋण संबंधी आवश्यकताएं अर्थात (क) आय उपार्जक क्रियाकलाप, (ख) सामाजिक आवश्यकताएं जैसे आवास, शिक्षा, विवाह आदि; और (ग) ऋण अदला-बदली की आवश्यकताओं को पूरा करने का अनुरोध करेगी। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं को आवश्यक परिपत्र जारी किए हैं, जिनमें उन्हें समग्र वित्तीय समावेशन की संकल्पना को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अनंतिम आंकडों के अनुसार, अप्रैल से अक्तूबर, 2008 के बीच, इस योजना के अंतर्गत 18,863 खातों में बैंकों द्वारा लगभग 502.82 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान किए गए थे। ***मानीटरिंग जारी***
56	94	***नई निधियों के सृजन के माध्यम से नाबार्ड, सिडबी तथा एनएचबी की पहुँच का विस्तार*** वित्तीय समावेशन को, नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी की पहुंच में विस्तार करके आगे बढ़ाया जा सकता	भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न प्रकार की आरंभिक संचित निधि के साथ नाबार्ड, सिडबी तथा एनएचबी के अंतर्गत निधियों की संरचना

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		है। इसलिए इन तीनों बैंकों का संसाधन आधार बढ़ाने के लिए, मैं अनुसूचित बैंकों के संसाधनों का उस हद तक उपयोग करने का प्रस्ताव करता हूँ, जब तक वे प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने की अपनी बाध्यता को पूरा नहीं कर पाते। तद्नुसार निम्नलिखित निधियां गठित करने का प्रस्ताव रखा जाता है: (i) नाबार्ड में, इसकी अल्पावधिक सहकारी ऋण संस्थाओं को पुनर्वित्तपोषण कार्य में बढ़ोतरी करने के निमित्त 5,000 करोड़ रुपए की एक निधि; (ii) सिडबी में प्रत्येक के लिए 2,000 करोड़ की दो निधियां - एक जोखिम पूंजी वित्तपोषण और दूसरी एमएसएमई क्षेत्र की पुनर्वित्तपोषण क्षमता बढ़ाने के लिए; और (iii) ग्रामीण आवास क्षेत्र में इसके पुनर्वित्तपोषण कार्य बढ़ाने के लिए एनएचबी में 1,200 करोड़ रुपए की निधि। इनमें से प्रत्येक निधि कुछ परिवर्तनों के साथ आरआईडीएफ के लिए प्रयोज्य सामान्य दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित होगी। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	हेतु आदेश जारी किए हैं : **क. नाबार्ड** **अल्पावधिक सहकारी ऋण निधि** (5000 करोड़ रुपए) 31.12.2008 की स्थिति के अनुसार,निधि से 4,622.88 करोड़ रुपए की राशि आहरित की गई है। **ख. सिडबी** i. **एमएसएमई (पुनर्वित्त) निधि** (2000 करोड रुपए)31.12.2008 की स्थिति के अनुसार, इस निधि से 2,279.96 करोड़ रुपए की राशि आहरित की गई है, ii. **एमएसएमई (जोखिम) निधि** (2000 करोड रुपए) 31.12.2008 की स्थिति के अनुसार, 250 करोड़ रुपए की राशि आहरित की गई है। **ग. एनएचबी** **आरएचडी निधि** (2000 करोड़ रुपए)भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण आवास निधि (आरएचएफ) के अंतर्गत 2000 करोड रुपए की राशि आबंटित की है। इस आबंटित राशि में से, दिसम्बर, 2008 के अंत तक, 821 करोड़ रुपए की राशि आहरित की गई है। ***कार्रवाई पूर्ण***
57	95	**डीआरआई योजना के तहत वर्द्धित पात्रता:** विगत वर्ष मैंने लाभप्रद व्यवसायों में लगे हुए कमजोर वर्गों के समुदाय के लिए विभेदक ब्याज-दर (डीआरआई) योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा बढ़ाई थी। तथापि, मैंने पात्रता की सीमा नहीं बढ़ाई। यह अब भी 1986 में निर्धारित स्तर पर कायम है। इसे ठीक करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 18,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 24,000 रुपए वार्षिक आय वाले उधार लेने वाले परिवार की पात्रता सीमा निर्धारित करने के मापदण्ड का प्रस्ताव करता हूँ। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभेदक ब्याज दर योजना के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश 10.04.2008 को जारी किए गए थे। ***कार्रवाई पूर्ण***
58	97	**कारपोरेट बांडों के लिए बाजार विस्तार हेतु उपाय:** कारपोरेट बांडों के लिए बाजार को विस्तारित करने हेतु कुछ और उपाय करते हुए, मैं इसमें आगे बढ़ने की मंशा रखता हूँ। इसलिए मैं निम्नलिखित का प्रस्ताव रखता हूँ: ■ बांड, मुद्रा और व्युत्पाद बाजारों को विकसित	**(i), (ii) और (iii) मिला-जुला** एक्सचेंज व्यापारित मुद्रा-वायदा कारोबार तीन एक्सचेंजों में शुरू किया गया है। जहां तक ब्याज दर भावी सौदों एवं ऋण व्युत्पादों का संबंध है, प्रारंभिक कार्य अभी चल रहा है और इनके भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी द्वारा निकट भविष्य में शुरू

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		करने के लिए उपाय करना, जिनमें एक्सचेंज व्यापारिक मुद्रा और ब्याज दर भावी सौदे शामिल होंगे तथा उपयुक्त संरक्षण सहित पारदर्शी ऋण व्युत्पाद बाजार विकसित करना। ■ ऐसा प्रक्रम लागू करके घरेलू परिवर्तनीय बांडों की कारोबारिता बढ़ाना, इससे निवेशक अंतर्निहित इक्विटी विकल्प को परिवर्तनीय बांड से अलग करने तथा इसका पृथक कारोबार करने में समर्थ होगा; और ■ अपनी जटिलता और अंतर्निहित जोखिमों पर आधारित वित्तीय लिखतों को वर्गीकृत करने हेतु बाजार आधारित प्रणाली के विकास को प्रोत्साहित करना। (नोडल मंत्रालय/विभाग : आर्थिक कार्य विभाग)	किए जाने की संभावना है। *कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण* (iv) सेबी ऐसा प्रक्रम तैयार करने के लिए ऐसा आधार निर्मित कर रहा है जिससे निवेशक अंतर्निहित इक्विटी को परिवर्तनीय बांडों से पृथक तथा उनका अलग से कारोबार कर सकेंगे। *कार्रवाई जारी* (v) क्रिसिल ने 28 मार्च, 2008 को "जटिलता स्तर " की शुरूआत की है। इससे निवेशकों को, निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले, किसी भी लिखत से जुड़े जोखिम कारकों को समझने के लिए विवेक और सावधानी की सीमा निर्धारित करने में मदद मिलेगी। केयर ने भी हाल में ऐसी ही प्रणाली शुरू की है। अन्य रेटिंग एजेन्सियां भी यह काम करने में जुटी हैं। *कार्रवाई पूर्ण।*
59	98	**वित्तीय बाजार में सभी लेनदेनों के लिए पैन की जरूरत** स्थायी खाता संख्या (पैन) का डर वस्तुतः समाप्त हो चुका है। पैन अब प्रतिभूति बाजार में सभी भागीदारों के लिए एक मात्र पहचान संख्या है। मैं उपयुक्त आरंभिक छूट सीमाओं के अधीन वित्तीय बाजार में सभी लेनदेनों के लिए पैन को आवश्यक बनाने के लिए प्रस्ताव करता हूँ। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग आर्थिक कार्य विभाग)	**बीमा उत्पाद :** यह प्रस्ताव है कि ऐसी बीमा योजनाओं के लिए "पैन" अनिवार्य कर दिया जाए जिनमें निवेश घटक हो और छूट उन्हीं मामलों में दी जाए जहां ऐसी बीमा पॉलिसी पर संविदित देय प्रीमियम एक लाख रुपए से अधिक न हो। आईआरडीए के साथ परामर्श करके इस मामले पर आगे कार्रवाई की जा रही है। *मानीटरिंग जारी*
60	99	**प्रतिभूतियों के लिए वास्तव में एक अखिल भारतीय बाजार बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति।** हमारे स्टॉक एक्सचेंज प्रतिभूतियों के लेनदेन के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक व्यापार मंच उपलब्ध कराते हैं। फिर भी हमारे पास प्रतिभूतियों के लिए एक परिपूर्ण राष्ट्रीय बाजार नहीं है क्योंकि राज्यों में स्टाम्प शुल्क की दरों के दायरे और प्रयोज्यता के बारे में मतभेद हैं। अतः मैं राज्यों के वित्तमंत्रियों की सशक्त समिति से अनुरोध करता हूँ कि वे प्रतिभूतियों के लिए वास्तव में एक अखिल भारतीय बाजार बनाने हेतु केन्द्र सरकार के साथ मिलकर काम करें। इससे	प्रतिभूतियों के लिए सचमुच एक अखिल भारतीय बाज़ार निर्मित करने के लिए संकल्पना टिप्पणी तैयार की गई है। राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक सशक्त समिति गठित की गई है और इससे केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रतिभूतियों के लिए वस्तुतः एक ऐसा अखिल भारतीय बाज़ार निर्मित करने का अनुरोध किया गया है जो बाज़ार आधार को विस्तृत करेगा और राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि करेगा। स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक पृष्ठभूमि टिप्पणी सशक्त समिति को उसके विचारार्थ भेजी गई है। *कार्रवाई जारी*

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		बाजार के आधार का विस्तार होगा और राज्य सरकारों के राजस्व में वृद्धि होगी। (नोडल मंत्रालय/विभाग : आर्थिक कार्य विभाग राजस्व विभाग)	
61	101	***कौशल विकास मिशन*** वर्तमान समय में कई मंत्रालय/विभाग कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन और प्रबंध कर रहे हैं। मेरी मंशा इन क्षेत्र-विशिष्ट कार्यक्रमों में हस्तक्षेप करने की नहीं है। तथापि,एक विश्व स्तरीय कौशल विकास कार्यक्रम, मिशन मोड में आरंभ किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। इससे विकासशील अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार कौशल प्रदान करने की चुनौती का सामना किया जाएगा। मिशन की रूपरेखा और नेतृत्व इस प्रकार का होना चाहिए ताकि इसे सम्पूर्ण देश में शीघ्र क्रियान्वित किया जा सके। अतः मैं लाभ न कमाने वाले निगम की स्थापना करने और उसे इस मिशन का कार्य सौंपने का प्रस्ताव करता हूँ। मेरी मंशा लगभग 15,000 करोड़ रुपए पूँजी के रूप में एकत्र करने की है, जो सरकारों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र और द्विपक्षीय/ बहुपक्षीय स्रोतों से जुटाई जाएगी। मैं इस कार्य का आरंभ प्रस्तावित लाभ न कमाने वाले निगम में सरकार की इक्विटी के रूप में 1,000 करोड़ रुपए लगाकर करूँगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : आर्थिक कार्य विभाग)	1. केंद्र सरकार ने निम्नलिखित कार्रवाई करने की मंजूरी दी है : i. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत, "निर्लाभ" कंपनी के रूप में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की स्थापना करना। ii. सरकार और अन्य दाताओं से अंशदान प्राप्त करने और उन्हें एनएसडीसी को उसके कार्यक्रमों एवं कार्य योजनाओं हेतु देने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ) नामक न्यास का पंजीकरण। 2. एनएसडीसी को कंपनी अधिनयम की धारा 25 के अधीन 31 जुलाई, 2008 को पंजीकृत किया गया। सरकार ने इस कंपनी की मूल निधि के लिए 4.90 करोड़ रुपए देने की वचनबद्धता की है। कंपनी को सरकार से 3.00 करोड़ रुपए तथा निजी क्षेत्र के उद्योग एवं वाणिज्य संघों से 4.08 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। इसके बोर्ड में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों से निदेशक नियुक्त किए गए हैं। बोर्ड ने अब तक दो बैठकें की हैं। 3. भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन, राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ) 6 जनवरी, 2009 को एक न्यास के रूप में पंजीकृत की गई है। प्रधानमंत्री ने 995.10 करोड़ रुपए एनएसडीएफ को अंतरित किए जाने की मंजूरी दे दी है। यह राशि एनएसडीसी के संबंध में सरकारी अंशदान को हिसाब में लेने के बाद, बजट घोषणा में वचनबद्ध 1,000 करोड़ रुपए में से है। 4. एनएसडीसी और एनएसडीएफ के बीच निवेश प्रबंधन करार को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। ***कार्रवाई जारी***
62	102	***औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन*** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त योजना के अन्तर्गत, 238 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जा रहा है। सरकारी-निजी भागीदारी योजना के अंतर्गत, 29 राज्यों में संगत-औद्योगिक भागीदारों सहित 309 आईटीआई की पहचान की गई है और 244 मामलों में करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्ष 2008-09 में 300 और आईटीआई के उन्नयन की प्रत्याशा में,	**i) "व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वीटीआईपी), के तहत, विश्व बैंक की सहायता से 400 आईटीआई का उन्नयन** • विश्व बैंक की सहायता से उन्नत की जाने वाली 400 आईटीआई में से, वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान पूर्वव्यापी वित्तपोषण से 100 आईटीआई का सुधार किया गया। शेष 300 आईटीआई में से, 2007-08 के दौरान 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 150 आईटीआई का प्रतिस्पर्धी चयन किया गया। 2008-09 में उन्नयन के लिए अब तक और 148 आईटीआई की पहचान की गई है। इस तरह कुल 398 आईटीआई हैं जिनका उन्नयन किया जा रहा है।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		मैंने 750 करोड़ रुपए की राशि का अलग से प्रावधान किया है। (नोडल मंत्रालय/विभाग : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)	• वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान आज तक 103.37 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। **ii) 1396 आईटीआई का उन्नयन** इस योजना का उद्देश्य ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 3,550 करोड़ रुपए के परिव्यय से देश में 1,396 सरकारी आईटीआई का उन्नयन करना है। इस योजना को 2007-08 के दौरान पहले बैच में 300 आईटीआई के संबंध में कार्यान्वयन हेतु 25.10.2007 को मंजूरी दी गई। **वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य 2007-08 :-** वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान इस योजना के तहत उन्नयन हेतु 300 आईटीआई को शामिल किया गया। 2007-08 के दौरान 300 आईटीआई को 750 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई, अर्थात प्रत्येक आईटीआई को 2.5 करोड़ रुपए की राशि दी गयी। **वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य 2008-09 :-** 2008-09 के दौरान इस योजना के तहत उन्नयन हेतु 300 आईटीआई को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। 2008-09 से 2011-12 की अवधि में 1096 आईटीआई के उन्नयन की योजना 3.10.2008 को मंजूर की गई। इसके बाद, 221 आईटीआई को अब तक 552.50 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की जा चुकी है। ***कार्यक्रम जारी***
63	103	***सैनिक स्कूल*** मैं, रक्षा बलों में, विशेषकर अधिकारी स्तर पर आ रही कमी की दर से चिंतित हूँ। सैनिक स्कूलों ने रक्षा बलों के भावी भर्ती लीडरों और प्रशिक्षण के आधार के रूप में अद्वितीय भूमिका निभाई है। मैं, 22 सैनिक स्कूलों में प्रत्येक को कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और शारीरिक शिक्षा सुविधाओं सहित आधारभूत ढाँचे के तत्काल सुधार के लिए 2 करोड़ रुपए प्रति स्कूल की दर से 44 करोड़ रुपए आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ। (नोडल मंत्रालय/विभाग : रक्षा मंत्रालय)	सभी तैयारी संबंधी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। पूरक अनुदान प्राप्त हो चुका है और 22 सैनिक स्कूलों में प्रत्येक को सहायता-अनुदान के रूप में संवितरण हेतु स्वीकृति पत्र जारी किए जा चुके हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***
64	104	***हरियाणा और चंडीगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण हेतु स्मार्ट कार्ड आधारित वितरण प्रणाली हेतु प्रायोजिक योजना:*** सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत खाद्य सब्सिडी के लिए अगले वर्ष 32,667 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने का	स्मार्ट कार्ड आधारित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी योजना के लिए हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के अनुमोदन के आधार पर, 2008-09 और 2009-10 के लिए 18.12.2008 को

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		अर्थ पर्याप्त आपूर्ति, उचित सब्सिडियाँ और सब्सिडीकृत खाद्य पदार्थों का कारगर वितरण करना होगा। मेरा विचार यह है कि लक्षित वर्ग को स्मार्ट कार्ड के जरिए सब्सिडियाँ प्रदान की जाएं। अंततः, मुझे दो इच्छुक भागीदार-हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र मिल गए हैं। वे क्रमशः हरियाणा और चंडीगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण के लिए प्रायोगिक आधार पर एक स्मार्ट कार्ड आधारित वितरण प्रणाली आरंभ करेंगे। मैं, हरियाणा के मुख्य मंत्री और चंडीगढ़ के प्रशासक का धन्यवाद करता हूँ और उन्हें इस प्रायोगिक योजना की सफलता के लिए पूर्ण समर्थन और सहयोग का वचन देता हूँ। (नोडल मंत्रालय/विभाग : खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण)	हरियाणा हेतु 137.63 करोड़ रुपए और चंडीगढ़ हेतु 4.66 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई थी। तदनुसार, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए 1.10 करोड़ रुपए, हरियाणा के लिए 25 करोड़ रुपए और एनआईसी को 1 करोड़ रुपए की मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान 26.12.2008 को आरंभिक वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इस योजना का कार्यान्वयन चालू वित्त वर्ष से ही शुरू किया जाना है। *मानीटरींग जारी*
65	105	***असंगठित क्षेत्र के कामगार*** असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी विधेयक, 2007 संसद के समक्ष विचारार्थ है। इस विधेयक के कानून बनने की आशा में, सरकार ने तीन योजनाएं आरंभ की हैं। इन्हें असंगठित क्षेत्र के कामगारों को चरणबद्ध तरीके से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु तैयार किया गया है। ये निम्नलिखित हैं: ■ आम आदमी बीमा योजना, जिससे गरीब परिवारों को बीमा सुरक्षा मिलेगी। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जीवन बीमा निगम योजना के पहले वर्ष में 30 सितम्बर, 2008 तक एक करोड़ भूमिहीन परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु शामिल करेगा। मैंने एलआईसी को 1,000 करोड़ रुपए की राशि पहले ही दे दी है। दूसरे वर्ष में, एक करोड़ अन्य गरीब परिवारों को शामिल करने हेतु, मैं वर्ष 2008-09 में एलआईसी को 1,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने का प्रस्ताव करता हूँ। ■ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसे 1 अप्रैल, 2008 से कार्यान्वित किया जाएगा। ■ इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 65 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को इस योजना में शामिल करने हेतु 19 नवम्बर, 2007 से इसका विस्तार किया गया था। परिणामस्वरूप, इस का विस्तार 87 लाख लाभार्थियों से बढ़कर	**असंगठित क्षेत्र श्रमिक सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008** संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है। **(i) आम आदमी बीमा योजनाः** 31 दिसम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार, 6,031,781 व्यक्तियों को आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। जीवन बीमा निगम द्वारा अनुरक्षित आम आदमी बीमा योजना प्रीमियम निधि में वृद्धि करने के लिए, 2008-09 के केन्द्र सरकार के व्यय हेतु पहली पूरक अनुदान मांगों में 1,000 करोड़ रुपए की राशि जारी करने हेतु बजटीय प्रावधान अनुमोदित किया गया। *कार्रवाई पूर्ण* **(ii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना :** इसे 1.10.2007 को शुरू किया गया था और यह 1.4.2008 से लागू है। 31.12.2008 तक, 21 राज्यों व एक संघ राज्य क्षेत्र ने इस योजना को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उपर्युक्त राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में से, 14 राज्यों नामतः राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली, गुजरात, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, प0 बंगाल, झारखंड और तमिलनाडु ने स्मार्ट कार्ड जारी करने शुरू कर दिए हैं। इन राज्यों में 8,127,455 व्यक्तियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करते हुए, 1,625,491 स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। पूर्वोत्तर में नागालैंड पहला राज्य है जिसने इस योजना को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया की पहल की है, उसके बाद त्रिपुरा और असम ने कार्रवाई की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में, अरूणाचल प्रदेश के सिवाय, सभी राज्यों ने इस योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के सिवाय, अन्य राज्यों ने भी मौजूदा वर्ष के दौरान

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		157 लाख लाभार्थियों तक कर दिया गया है। मैं, इस संबंध में वर्ष 2007-08 में किए गए 2,392 करोड़ रुपए की राशि के आवंटन की तुलना में वर्ष 2008- 09 में 3,443 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय)	इस योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। *कार्रवाई पूर्ण* (iii) **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना:** सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत संशोधित मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त लाभार्थियों की पहचान करने के लिए पहले ही अनुदेश दे दिए गए हैं। आज की तारीख तक, 29 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या 2006-07 के दौरान 87 लाख से बढ़ाकर 144.35 लाख करने की सूचना दी है। एनएसएपी के लिए प्रतिवर्ष 4,207.63 करोड़ रुपए की राशि की जरूरत है, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 157.19 लाख लाभार्थियों के लिए प्रतिवर्ष 3,772.56 करोड़ रुपए और गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों में मुख्य कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, 4.35 लाख परिवारों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के वास्ते 435.07 करोड़ रुपए हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान एनएसएपी हेतु बजट अनुमान 3,442.24 करोड़ रुपए था और मौजूदा वर्ष के दौरान होने वाले व्यय एवं अन्य दुर्बल वर्गों को शामिल करने के लिए एनएसएपी के प्रस्तावित विस्तार पर होने वाले व्यय को पूरा करने हेतु, इस कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। *कार्रवाई पूर्ण*
66	106	***इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गरीब व्यक्तियों को आवास के लिए अभिवृद्धित आर्थिक सहायता*** गरीबों के लिए आवास, भारत निर्माण के छः घटकों में से एक है और इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के जरिए इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। 60 लाख मकानों के लक्ष्य के मुकाबले, दिसम्बर, 2007 तक 41.13 लाख मकानों का निर्माण कर लिया गया है तथा मार्च,2008 के अंत तक 51.77 लाख मकानों का निर्माण हो जाएगा। भवन-निर्माण की उच्च लागत को देखते हुए, मैं, 1 अप्रैल, 2008 के पश्चात स्वीकृत नए मकानों के संबंध में मैदानी इलाकों में प्रति इकाई सब्सिडी को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 35,000 रुपए और पर्वतीय/दुर्गम इलाकों में 27,500 रुपए से बढ़ाकर 38,500 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। मकानों के उन्नयन के लिए सब्सिडी 12,500 रुपए प्रति यूनिट से बढ़ाकर 15,000 रुपए की जाएगी। मकान को पूरा करने के लिए लाभार्थी को तब भी अपनी निधियों की आवश्यकता	**गरीब व्यक्तियों के लिए आवास** इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान निर्माण हेतु वित्तीय सहायता मैदानी क्षेत्रों में 25,000 रुपए से बढ़ाकर 35,000 रुपए और पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में 27,500 रुपए से बढ़ाकर 38,500 रुपए तथा उन्नयन हेतु 12,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है। आईबीए ने 2.5.2008 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी है कि इंदिरा आवास योजना के मकानों को विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत शामिल करें। *कार्रवाई पूर्ण*

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		पड़ेगी।सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को यह सलाह दी जाएगी कि वे इंदिरा आवास योजना के मकानों को विभेदक ब्याज दर के तहत शामिल करें और 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर प्रति इकाई 20,000 रुपए की राशि का ऋण दें। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग ग्रामीण विकास विभाग)	
67	109	*जलवायु परिवर्तन विषय संबंधी संस्थागत तंत्र* मैंने पिछले वर्ष के बजट भाषण में विशेषज्ञ समिति के गठन के सरकार के निर्णय की घोषणा की थी, जो भारत पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करेगी और उन उपायों की पहचान करेगी जो हमें भविष्य में करने पड़ सकते हैं। इस पर कार्य चल रहा है। सामान्य परन्तु विशिष्टीकृत उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का पालन करते हुए भी हम अपने हित में कई कार्य कर सकते हैं और हमें अवश्य करने चाहिए। हम स्वच्छ प्रौद्योगिकी उत्पादों को बढ़ावा दे सकते हैं; हम ईंधन के उत्सर्जन और साधकता विनियमों की समीक्षा कर सकते हैं; हम ईंधन के लिए लकड़ी की बजाए सौर-ऊर्जा का सामान्य प्रयोग कर सकते हैं, हम गैस के उपयोग को बढ़ावा दे सकते हैं; जो सर्वोत्तम हाइड्रोकार्बन है। हम कार्बन के उत्सर्जन के लिए व्यापारिक मंच की स्थापना कर सकते हैं; हम टिकाऊ ग्रीनफील्ड शहरों का निर्माण कर सकते हैं; और हम काफी कुछ कर सकते हैं। इन्हें एवं अन्य विचारों के अन्वेषण तथा कार्यान्वयन के लिए सरकार एक स्थायी संस्थागत तंत्र की स्थापना का प्रस्ताव करती है, जो विकास और समन्वयन की भूमिका निभाएगा। संस्थागत तंत्र के ब्यौरे की घोषणा शीघ्र की जाएगी। (नोडल मंत्रालय/विभाग : पर्यावरण और वन मंत्रालय)	जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना जिसमें सुझाए गए समस्त कार्रवाई के क्षेत्र समाविष्ट हैं, की शुरूआत 30 जून, 2008 को की गई थी। संस्थागत तंत्र के संबंध में, केन्द्र सरकार ने जलवायु परिवर्तन विषयक अंतर-क्षेत्र कार्यसूची के प्रबंधन के लिए 16 अप्रैल, 2008 को आदेश जारी किया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
68	112	*उत्कृष्ट संस्थान* लगातार चौथे वर्ष के लिए, मैं तीन उत्कृष्ट संस्थानों में से प्रत्येक के लिए 100 करोड़ रुपए के विशेष अनुदान का प्रस्ताव करता हूँ। वर्ष 2008-09 के पुरस्कार (i) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरि, महाराष्ट्र; (ii) मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर; और (iii) दिल्ली	(i) **महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ (एमपीकेवी), राहुरि :** महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को 100 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। (ii) **दिल्ली विश्वविद्यालय और मैसूर विश्वविद्यालय को** 100-

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		विश्वविद्यालय, दिल्ली को दिए जाएंगे। (नोडल मंत्रालय/विभाग : कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग उच्चतर शिक्षा विभाग)	100 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान जारी करने का कार्य चल रहा है। ***कार्रवाई जारी***
69	113	***भारत की सॉफ्ट पावर*** भारत का संगीत, साहित्य, नृत्य, कला, पाक कला और विशेषकर फिल्में पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर रहीं हैं। यह भारत की सॉफ्ट पावर है और इसे अत्याधुनिक और प्रखर तरीके से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को एक कार्यक्रम तैयार करने और कार्यान्वित करने हेतु 75 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। (नोडल मंत्रालय/विभाग : विदेश मंत्रालय)	2008-09 की पूरक अनुदान मांगों में 75 करोड़ रुपए की निधि विदेश मंत्रालय को देने का प्रस्ताव सीएनई के विचाराधीन है ताकि यह राशि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को एक किस्त में जारी की जा सके। ***कार्रवाई जारी***
70	114	***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को अनुदान*** 1411 की संख्या एक चेतावनी की घंटी है। यह भारत के बाघों की संख्या है। बाघ का अस्तित्व संकट में है। बाघ संरक्षण के हमारे द्वारा किए जा रहे प्रयासों को पुनः तेज करने के लिए, मैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को 50 करोड़ रुपए के एकबारगी अनुदान का प्रस्ताव करता हूँ। इस अनुदान का अधिकांश भाग विशेष बाघ संरक्षण बल तैयार करने, उन्हें हथियार प्रदान करने और तैनात करने में उपयोग किया जाएगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : पर्यावरण और वन मंत्रालय)	देश के बाघ अभ्यारण्यों में विशेष बाघ संरक्षण बल गठित करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ***कार्रवाई जारी***
71	115	***मॉनिटरिंग और मूल्यांकन*** सुदृढ़ आर्थिक विकास से कई नई चुनौतियां हमारे सामने आई हैं, जिनमें, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों, जिला स्तर के अभिकरणों और अन्य कार्यान्वयनकारी अभिकरणों को संवितरित बड़ी धनराशियों के प्रभावी मॉनिटरिंग, मूल्यांकन - और लेखा प्रणालियों को लागू करने की आवश्यकता है। मेरा विचार है कि हम परिणामों पर उतना ध्यान नहीं देते जितना परिव्ययों पर देते हैं, अथवा वास्तविक लक्ष्यों पर उतना ध्यान नहीं देते जितना वित्तीय लक्ष्यों पर देते हैं; अथवा	योजना आयोग में महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, केन्द्रीय आयोजना स्कीम निगरानी प्रणाली (सीपीएसएमएस) हेतु क्रियान्वयन एजेंसी है। 1,258 केन्द्र प्रायोजित स्कीमों और केन्द्रीय सेक्टर स्कीम के लिए एक केन्द्रीय निगरानी और लेखांकन प्रणाली स्थापित की गई है। इन स्कीमों के तहत केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा जारी की गई सभी मंजूरियां अब अनन्य मंजूर पहचान के साथ जानी जाती हैं जिससे राज्य, जिला और पंचायत स्तर पर विभिन्न कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों के बीच उनके लेखांकन तथा बजट शीर्षों के अनुसार जारी की गई राशियों का पता लगाने में मदद मिलती है। इन योजनाओं के अंतर्गत निधियाँ जारी करने के लिए स्कीमवार

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		गुणवत्ता पर उतना ध्यान नहीं देते जितना परिमाण पर देते हैं। अतः सरकार का यह प्रस्ताव है कि केन्द्रीय आयोजना स्कीमों को मॉनिटर करने की प्रणाली शुरु की जाए। इसका कार्यान्वयन योजना आयोग की आयोजना स्कीम के रूप में किया जाएगा। एक व्यापक निर्णय सहायता प्रणाली और प्रबंधन सूचना प्रणाली भी स्थापित की जाएगी। वर्ष 2008-09 में लगभग 1,000 केन्द्रीय आयोजना और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए योजनावार और राज्य वार राशियों का सृजन और मॉनिटर करना इसका आशयित परिणाम होगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : योजना आयोग)	एवं राज्यवार रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं। इनके अतिरिक्त, योजना आयोग संबंधित मंत्रालय और राज्य सरकारों से परामर्श करके कर्नाटक और पंजाब के चुनिंदा जिलों में चुनी हुई स्कीमों के लिए प्रायोगिक मूल्यांकन योजनाएँ बनाई जा रही हैं। इन प्रयोगिक मूल्यांकनों के संचालन के लिए एक साफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है जिसमें जारी निधियों का पता लगाने, व्यय का विवरण बनाने और इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को सीधे भुगतान की सुविधा होगी। प्रायोगिक मूल्यांकनों के परिणामों से सभी केन्द्र प्रायोजित स्कीमों तथा केन्द्रीय सेक्टर की स्कीमों के लिए एक व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित निर्णय सहायक प्रणाली और प्रबंधन सूचना प्रणाली बनाने का आधार बनेगा। ***कार्रवाई जारी***
72	116	**मूल्यांकन का सुदृढ़ीकरण :** सरकार मूल्यांकन को भी सुदृढ़ करना चाहती है। कुछ मंत्रालयों ने समवर्ती मूल्यांकन करना आरंभ किया है। अनुसंधान संस्थानों द्वारा संचालित किए जाने वाले स्वतंत्र मूल्यांकनों में अभिवृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। योजना आयोग प्रमुख योजनाओं के ऐसे मूल्यांकन प्राधिकृत करेगा और ग्यारहवीं योजना की मध्यावधिक समीक्षा तक यह कार्य पूरा करेगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : योजना आयोग)	योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने 2008-09 के दौरान 19 मूल्यांकन अध्ययन किए हैं। इनमें वे अध्ययन शामिल हैं जो 2007-08 के दौरान शुरू किए गए थे और मूल्यांकन के विभिन्न चरणों पर हैं। ***कार्रवाई जारी***
73	122	***राजकोषीय समंजन की कार्ययोजना का पुनर्निर्धारण*** मैं यह मानता हूँ कि तेल, खाद्य और उर्वरक बांडों के कारण सरकार की महत्वपूर्ण देयताएं, वर्तमान में, आशा से नीचे हैं। यह लेखांकन प्रबन्ध पूर्व परम्परा के अनुकूल है। ऐसा होते हुए भी, हमारा राजकोषीय और राजस्व घाटा उस सीमा तक कम आंका गया है। इन देयताओं को हमारे राजकोषीय लेखांकन में लाए जाने की जरूरत है। पहले उपाय के रूप में, मैंने इन देयताओं को बजट सार में स्पष्ट रूप से दर्शाया है। छठे केंद्रीय वेतन आयोग के कारण पड़ने वाले भार के स्पष्ट होने के बाद, मेरी मंशा तेरहवें वित्त आयोग से यह अनुरोध करने की है कि राजकोषीय समंजन की कार्ययोजना का पुनर्निर्धारण करे और समुचित रूप से संशोधित कार्ययोजना का सुझाव दे। (नोडल मंत्रालय/विभाग : आर्थिक कार्य आयोग)	13वें वित्त आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह दिनांक 28.8.2008 की राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 2107(अ) के तहत राजकोषीय समायोजन की रूपरेखा की समीक्षा करे। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
74	166	**प्रतिवर्ती बंधक योजना :** मौजूदा वित्त वर्ष में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रतिवर्ती बंधक योजना अधिसूचित की गई। इस योजना से उत्पन्न कर मुद्दों का समाधान करने के लिए, मैं आय कर अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं जिससे निम्नलिखित की व्यवस्था होः (i) प्रतिवर्ती बंधक 'अंतरण नहीं होगा; और (ii) वरिष्ठ नागरिकों को प्राप्त राजस्व को आय नहीं माना जाएगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : राजस्व विभाग)	प्रतिवर्ती बंधक-पत्र योजना, 2008 का0आ0 संख्या 2310 (अ) तारीख 30.9.2008 के तहत अधिसूचित की गई है। ***कार्रवाई पूर्ण***
75	183	**केन्द्रीय बिक्री कर और वस्तु एवं सेवा कर संबंधी कार्य योजना** केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच हुए करार के पश्चात्, केन्द्रीय बिक्री कर की दर इस वित्त वर्ष में 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत की गई थी। अब इसे 1 अप्रैल, 2008 से घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। हानियों, यदि कोई हों, की क्षतिपूर्ति के संबंध में बातचीत चल रही है और यदि करार हो जाता है तो नई दर अधिसूचित की जाएगी। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी वस्तु एवं सेवा कर आरंभ करने के लिए कार्य योजना तैयार करने में पर्याप्त प्रगति हुई है। (नोडल मंत्रालय/विभाग : राजस्व विभाग)	1.6.2008 से लागू होने वाली 2% की नई केन्द्रीय बिक्री कर दर का0आ0 संख्या 1277 (अ) तारीख 30.5.2008 द्वारा अधिसूचित की गई है। संशोधित क्षतिपूर्ति पैकेज पर 28.5.2008 को सहमति हुई थी। ***कार्रवाई पूर्ण***